शिक्षा की प्रगति

१९७०-७१ - १९७७/७८

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग–१

SERVANTS OF INDIA SOCIETY'S LIBRARY
POONA 4

[सामान्य शिक्षा]

१९७०–७१

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अध्याय–१

सामान्य पर्यवेक्षण

१–१. भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश की शिक्षा के इतिहास में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। सार्वजनिक तथा सार्वभौम शिक्षा के लिये जनसाधारण की सुषुप्त आकांक्षायें सम्वर्गित हुई। स्वाधीनता के मुक्त वातावरण में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति राष्ट्रपिता की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों की ४५ वीं धारा में यह घोषित किया गया है कि १४ वर्ष तक के सभी बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है। इस लक्ष्य को कार्यरूप में लाने के लिये भारत के सभी प्रदेशों में शिक्षा के नियोजित कार्य-क्रम चलाये गये जो हमारे देश के शैक्षिक इतिहास के गौरवमय अध्याय है। उत्तर प्रदेश भी जनशिक्षा के इस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में अग्रसर रहा। उत्तर प्रदेश की तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक कार्य-क्रम के द्वारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिये प्रबल प्रयास किये गये।

१–२. पंच वर्षीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति का सिंहावलोकन करने के पूर्व उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों तथा सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना आवश्यक है।

१–३. भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। देश के १७ प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं किन्तु इस प्रदेश का क्षेत्रफल समस्त भारत के क्षेत्रफल का प्रायः ९ प्रतिशत ही है। इस प्रदेश की जनसंख्या १९६१ में ७ करोड़ ३७ लाख थी, १९७१ में ८ करोड़ ८३ लाख हो गई और मार्च १९७४ में इस प्रदेश की जनसंख्या ९ करोड़ ८७ लाख तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

१–४. उत्तर प्रदेश में शिक्षा की समस्या निम्नांकित कारणों से अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक जटिल हो गई है :—

(१) इस राज्य में जनसंख्या के प्रायः १६.५ प्रतिशत बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना है।

(२) इस प्रदेश में पर्वतीय तथा पिछड़े हुये क्षेत्र हैं जिनमें दो लाख बिखरे हुये टोले हैं। उनमें से प्रत्येक की जनसंख्या २०० से भी कम है। अतः उनमें प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये प्रति छात्र शिक्षा पर व्यय बढ़ जाना अवश्यम्भावी है।

(३) इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रायः २१ प्रतिशत है। इसलिये इनकी गरीबी के कारण इनकी शिक्षा में शासन द्वारा अधिक व्यय की आवश्यकता होती है।

(४) उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६४–६५ में प्रति व्यक्ति आय केवल ३७२ रुपये थी। उस वर्ष केरल, उड़ीसा और बिहार को छोड़कर भारत के सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से अधिक थी।

विषय सूची

विषय					पृष्ठ संख्या
१–सामान्य पर्यवेक्षण	..	..	..	..	१–३
२–प्राथमिक शिक्षा	..	..	..	..	४–७
३–पूर्व माध्यमिक शिक्षा	..	..	..	..	८–१०
४–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा		..	..	..	११–१८
५–उच्च शिक्षा	..	..	..	..	१९–२०
६–विविध ..	..	..	..	..	२१–२४
७–विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां ..			..	..	२५–२८

१–५. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुये भी योजनाकाल में विकास पर उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय उत्तरोत्तर अधिक बढ़ता गया जैसा कि नीचे की तालिका से विदित होता है :–

तालिका १

प्रति व्यक्ति विकास व्यय (रुपये)

योजना	प्रति व्यक्ति विकास व्यय (रुपये)
१––प्रथम पंचवर्षीय योजना	४३·२६
२––द्वितीय पंचवर्षीय योजना	७२·३७
३––तृतीय पंचवर्षीय योजना	१४४·८१
४––१९६६–६९ की तीन वार्षिक योजनाएं ..	१२६·९०

१–६. भारतीय संविधान में यह घोषित किया गया है कि १४ वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है। इस दायित्व का पालन करने के लिये उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर कुल राजस्व का सबसे अधिक भाग प्राथमिक शिक्षा पर लगाया गया है। १९५१ के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में यह व्यय प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता गया। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर उच्च शिक्षा की अपेक्षा पांच गुना से अधिक व्यय किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में १९५१–५२ की अपेक्षा ग्यारहगुना से अधिक धन का प्राविधान प्राथमिक शिक्षा के लिये किया गया।

१–७. कोठारी शिक्षा आयोग ने भारत में शिक्षा के लिये समान अवसर निम्न आय वर्ग के छात्रों को प्रदान करने के लिये छात्रवृत्ति हेतु सबल संस्तुति की किन्तु उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति प्रदान करने का योजनाबद्ध कार्यक्रम पहली पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से ही प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष १९५१–५२ में छात्रवृत्तियों पर नौ लाख रुपया व्यय किया गया। योजनाकाल में प्रति वर्ष इस मद पर पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाया गया। वर्ष १९६९–७० में १४५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया।

१–८. वर्ष १९४७ के पश्चात् प्रदेश में शिक्षा का इतिहास संख्यात्मक वृद्धि का युग माना जायगा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद दो दशाब्दियों में जूनियर बेसिक स्कूलों, सीनियर बेसिक स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई उतनी विगत कई शताब्दियों में भी नहीं हो सकी थी। विद्यालयों तथा छात्रों की संख्यात्मक वृद्धि का यह क्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है।

१–९. उत्तर प्रदेश की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इसमें पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं से भी अधिक धन अर्थात् ५२.८५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये शिक्षा पर कुल लागत का ६७ प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिये १७ प्रतिशत, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिये १० प्रतिशत और अन्य मदों के लिये ६ प्रतिशत निर्दिष्ट है। इस योजना में प्रत्येक स्तर की शिक्षा के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास के लिये महत्वपूर्ण पग उठाय गये हैं।

१–१०. चतुर्थ योजना का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक स्तर की शिक्षा का विस्तार करना, ग्रामीण और अर्द्ध विकसित क्षेत्रों को अधिक महत्व प्रदान करना, बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें प्रदान करना, विज्ञान की शिक्षा में सुधार तथा प्रसार, स्नातकोत्तर शिक्षा का विस्तार एवं सुधार, गुण सम्पन्न निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देना, वर्तमान सुविधाओं का पूर्णरूपेण प्रयोग करना, अपव्यय को घटाना तथा शिक्षा के स्तर में उन्नति करना है जिससे विनियोजन स लाभांश में वृद्धि हो सके।

१–११. चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में ही अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये भी व्यवस्था की गई है। विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में वृद्धि, जूनियर हाई स्कूलों और माध्यमिक विद्यालयों के लिये पुनरीक्षित वेतन मान तथा उनकी योग्यता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देकर शिक्षा जगत में नवीन आशा का सूत्रपात किया गया है।

१–१२. भारतीय संविधान में हिन्दी इस देश की राजभाषा घोषित की गई है। किन्तु विश्वविद्यालय की पुस्तकों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों को हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं थी। चतुर्थ योजना में विश्वविद्यालय के स्तर की पाठ्य पुस्तकों की रचना हिन्दी में करने के लिये एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें सात लाख रुपया वर्ष १९६९–७० में तथा पांच लाख रुपया १९७०–७१ में व्यय किया गया।

१–१३. चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में उपरिलिखित कार्यक्रमों से निःसन्देह उत्तर प्रदेश की शिक्षा की प्रगति में तीव्रता आवेगी। इसका प्रभाव व्यापक होगा। सामान्य शिक्षा का प्राविधिक शिक्षा से प्रबुद्ध होकर जब उत्तर प्रदेश का विशाल जन समुदाय गतिमान होगा तब हमारे देश की कृषि, उद्योग, व्यापार तथा राजनीति को नई स्फूर्ति मिलेगी। निश्चय ही इससे पार्श्ववर्ती राज्यों को भी नवीन प्रकाश एवं प्रेरणा मिलेगी और समस्त राष्ट्र नवीन शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस नवजागरण के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश समस्त देश को नवीन चेतना का सन्देश देकर अपनी गौरवमयी प्राचीन परम्परा का पालन करेगा।

अध्याय–२

प्राथमिक शिक्षा

२–१. संख्यात्मक वृद्धि –विद्यालय, अध्यापक एवं छात्र

राष्ट्रपिता बापू की प्रेरणा से वर्धा सम्मेलन में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किये गये उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ा। सार्वभौम तथा निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था का कार्य लोकप्रिय सरकार ने प्रारम्भ किया। सन् १९५० में भारतीय संविधान में यह घोषित किया गया कि १४ वर्ष के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है। इस लक्ष्य को कार्यरूप में लाने के लिये उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रवल प्रयास किये गये। अब विद्यालय केवल वर्ग विशेष के लिये ही नहीं रह गये बल्कि उनके द्वार प्रत्येक वर्ग तथा जाति के लिये खुल गये। पिछड़ी जाति तथा हरिजन जातियों में शिक्षा के प्रसार की योजनायें चलाई गई तथा परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत अध्यापकों के पद सुरक्षित कर दिये गये। बालकों और बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिये छात्रवृद्धि अभियान चलाये गये। परिणामस्वरूप विगत दो दशाब्दियों में प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापकों तथा छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस आख्या के अन्त में संलग्न सारणी ५, ७ और ९ से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि का पता लग जाता है।

वष १९६९–७० में उत्तर प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों की कुल संख्या ६१,७४९ थी जिनमें बालकों के ५०,३५८ तथा बालिकाओं के ११,३९१ स्कूल थे। इनमें ६३.५४ लाख बालकों तथा ३५.७० लाख बालिकाओं ने शिक्षा प्राप्त की। वर्ष १९७०–७१ में १६५ बालिकाओं के तथा ४५ मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले गए और ५,६०० अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इस वर्ष के अन्त में कक्षा १ से ५ तक बालकों की छात्र-संख्या ६६.९२ लाख, बालिकाओं की संख्या ४०.२६ लाख तथा कुल छात्र संख्या १०७.१८ लाख हो जाने की संभावना है।

२–२. प्रशिक्षण एवं प्रसार

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को बेसिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिये प्रारम्भिक प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सुधार किये गये। इसमें शिल्प की शिक्षा तथा समवाय का समावेश किया गया। दीक्षा विद्यालय के कार्यक्रम में सामुदायिक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये वर्ष १९६९–७० में कुल २६० बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय थे जिनमें पुरुषों के १९१ तथा महिलाओं के ६९ दीक्षा विद्यालय थे। इसम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के साथ संलग्न बी० टी० सी० इकाइयां–२ पुरुषों तथा १९ महिलाओं की सम्मिलित हैं।

बी० टी० सी० कोर्स में प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल परीक्षा है किन्तु छात्राध्यापिकाओं तथा सेवारत अदीक्षित अध्यापकों के प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल परीक्षा कर दी गई है। जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास अध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं के लिये बी० टी० सी० का पाठ्यक्रम दो वर्ष का है। प्रदेश में १२ सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इनमें १० केन्द्र अध्यापकों के लिये तथा २ अध्यापिकाओं के लिये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में अदीक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जूनियर बेसिक स्कूल

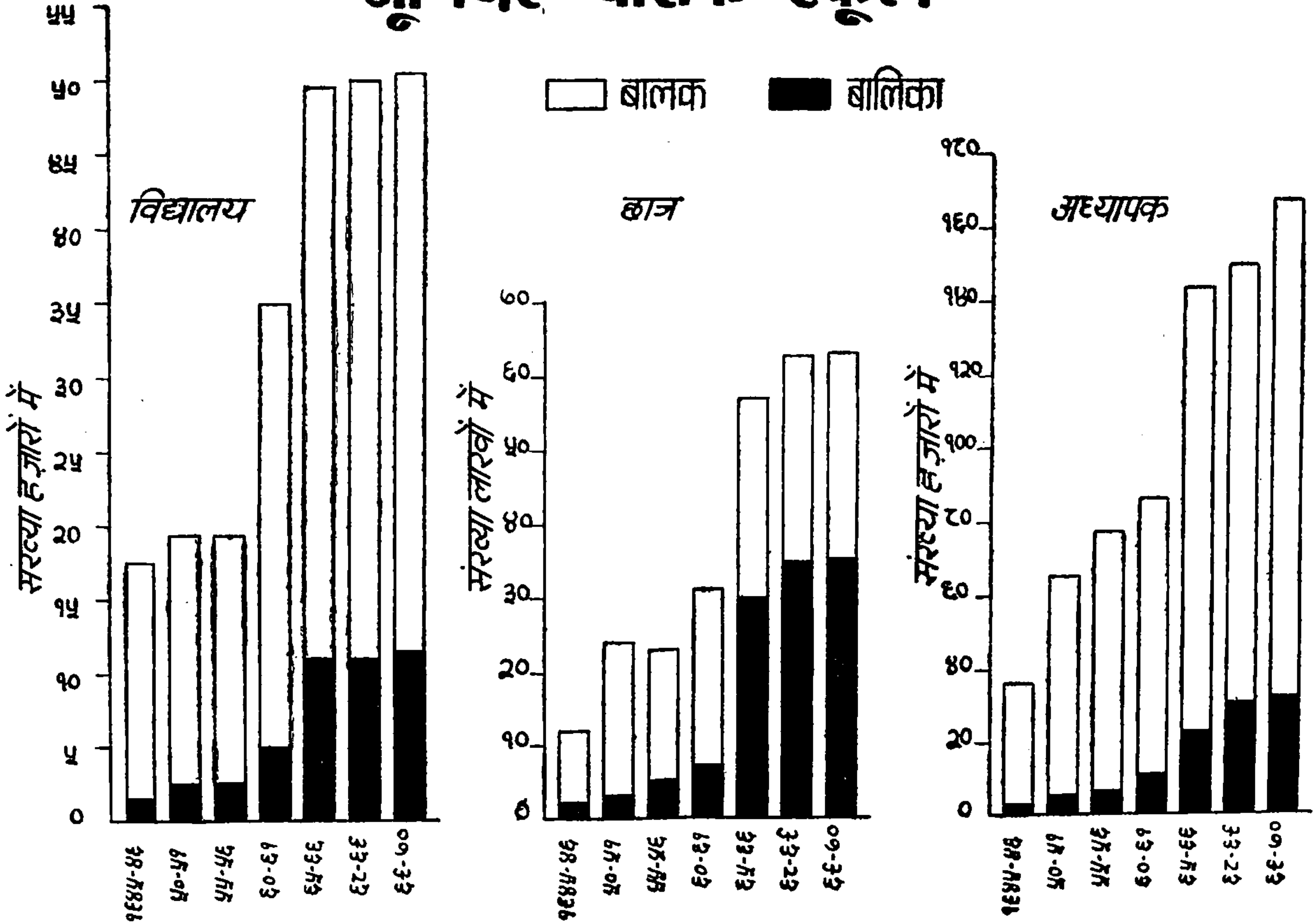

प्रारम्भिक स्तर पर ४ विस्तार सेवा केन्द्र इस समय चल रहे हैं जिनके द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विचारधाराओं तथा शिक्षण पद्धति से अवगत किया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं पर शोधकार्य, प्रति उप-निरीक्षकों तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण और वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर नवीनतम विचारों के प्रसार हेतु इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण संस्थान चल रहा है जिसमें हिन्दी शिक्षण पर शोध तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है।

२–३. निरीक्षण

स्वतंत्रता के बाद निरीक्षण की संकल्पना में आमूल परिवर्तन हुआ है। निरीक्षक अब अध्यापकों का मित्र, दार्शनिक और मार्ग-दर्शक हो गया है। पाठशाला प्रबन्धक समिति तथा अध्यापक अभिभावक संघ के संगठन हेतु निरीक्षक को समुदाय के सम्पर्क में आना पड़ा। बेसिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षण का आदर्श प्रस्तुत करने के लिये अब निरीक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से भी सतत् सम्पर्क रखने की आवश्यकता हुई। इस प्रकार विगत दो दशाब्दियों में निरीक्षक के कर्त्तव्यों एवं संकलपना में विकास हुआ है।

साथ ही प्रारम्भिक विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या के लिये निरीक्षकों की श्रेणी तथा संख्या में भी वृद्धि की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक श्रेणी के निरीक्षकों की संख्या नीचे दी जाती है :—

पद	संख्या
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी १ . . .	३०
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी २ . .	२४+१० अवकाश तथा ट्रेनिग रिजर्व हेतु।
सह-जिला विद्यालय निरीक्षक . .	२१
जिला विद्यालय निरीक्षिका	४
उप विद्यालय निरीक्षक	५४
उप विद्यालय निरीक्षिकायें	४०
अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक . .	१५
सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका . .	२४४
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक . .	६६१

चतुर्थ योजना के द्वितीय वर्ष में १५ अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, ११ उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, ११ सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका एवं १० प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद सृजित किए गए।

२–४. अध्यापक कल्याण कार्य

अध्यापकों के कल्याण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। १ फरवरी, १६७१ से इनके वेतनमान तथा १ जनवरी, १६७१ से इनके महंगाई-भत्ते की दरों में वृद्धि कर दी गई है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:—

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन-क्रम	.. महंगाई-भत्ते की दरें
प्रधान अध्यापक रु० ८०–३–६५–द० रो०–३–११०–द० रो०–३–१२५–द० रो०–३–१४०	१०६ रु०तक ५६ रु० तथा ११० से १४६ रु० तक
सहायक अध्यापक रु० ८०–३–६५–द० रो०–३–११०द० रो०–३–१२५	
अदीक्षित अध्यापक रु० ६०–१–६५–द० रो०–१–७० . ..	७६ रु० प्रति मास ।

अध्यापकों के लिये लाभत्रयी योजना चलायी गयी है। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये इनको नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। समाज में अध्यापक को सम्मानित करने के लिये प्रति वर्ष चुने हुये कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है ।

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के अवकाश-ग्रहण करने की आयु ५८ से ६० वर्ष कर दी गई है।

जिला परिषद् की कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं के अभाव में अवकाशप्राप्त अध्यापकों को, जिनकी अवस्था ५५ वर्ष या इससे अधिक हो, बालिका विद्यालयों में कतिपय प्रतिबन्धों के साथ ६० वर्ष की आयु तक अध्यापन कार्य करने की स्वीकृति दे दी गई है ।

२–५. विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय एवं अध्यापिका निवास

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बिखरे हुये प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण तथा जीर्णोद्धार का कार्य यद्यपि कठिन है तथापि इस कार्य के लिये प्रत्येक वर्ष आर्थिक व्यवस्था की जाती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग १०,६५३ भवनों का सुधार किया जा चुका है । क्रमोत्तर कक्षाओं के लिये अतिरिक्त कक्ष हेतु अनुदान दिया जाता है । मिश्रित विद्यालयों में शौचालय की भी योजना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के बालिका विद्यालय में अध्यापिका निवास भी निर्मित करने का प्राविधान किया जाता है। वर्ष १६६६–७० में २३७ विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ११.८५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। वर्ष १६७०–७१ में ग्रामीण क्षेत्र के ११५ स्कूलों के भवन का सुधार किया गया तथा ७५ विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।

२–६. छात्रवृत्ति तथा पुस्तक बैंक

प्राइमरी स्कूलों के अत्यन्त निर्धन, पिछड़ी हुई तथा परिगणित जाति क छात्रों को छात्रवृत्ति भी देने की व्यवस्था की जाती है। गरीब परिवार के बच्चों को बेसिक रीडर और पटरी भी यथासम्भव प्रदान की जाती है। इसके लिये पाठ्य पुस्तकों का संग्रह किया जाता है।

२–७. स्वावलम्बी स्कूल

विद्यालयरहित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि य विद्यालय सुचारु रूप से चलते रह और इस प्रकार के नये विद्यालय खोलने का प्रोत्साहन देने के लिये चतुर्थ योजना में १५०० स्वावलम्बी

विद्यालयों को ३०० रु० प्रति विद्यालय की दर से एक मुश्त अनुदान देने का निश्चय किया गया है। वर्ष १९६९–७० में ६०० स्वावलम्बी विद्यालयों को १,८०,००० रु० तथा वर्ष १९७०–७१ में २२५ स्वावलम्बी विद्यालयों को ६७,५०० रु० स्वीकृत किया गया।

२–८. उर्दू के अध्यापन की सुविधायें

उत्तर प्रदेश के जिन प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है और जिन स्थानीय निकायों में धनाभाव के कारण उर्दू अध्यापकों को नियुक्त करना सम्भव नहीं है उनमें वर्ष १९६९–७० में ८४८ उर्दू-अध्यापकों की नियुक्ति हेतु ३.४५ लाख रुपया तथा उर्दू पढ़ने वाले २.७० लाख छात्रों को पुस्तकें और लेखन सामग्री के लिये ५.४० लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। वर्ष १९७०–७१ में इस कार्य के लिए लगभग दस लाख रु० स्वीकृत किया गया तथा २२९ उर्दू-अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

उर्दू के विकास के लिये वर्ष १९७०–७१ में निम्नांकित प्राविधान है :—

	रु०
(१) उर्दू परिषद् का गठन	५,०००
(२) वाचनालयों एवं पुस्तकालयों में उर्दू की पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के क्रय हेतु	१,००,०००
(३) उर्दू पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन ..	१,००,०००

२–९ चतुर्थ योजना में बालिका शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम

मिश्रित स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिये अब तक २,८९१ स्कूल माताओं की नियुक्ति की गई है। इसमें वर्ष १९६९–७० में नियुक्त १२५ स्कूल मातायें भी सम्मिलित हैं। वर्ष १९७०–७१ में १६९ स्कूल माताओं की नियुक्ति की गई।

मिश्रित प्राइमरी स्कूलों में अब तक ५००० शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष १९७०–७१ में ऐसे १०० शौचालयों के निर्माण हेतु रु० तीस हजार का अनुदान दिया गया।

अध्याय—३

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

३—१. संख्यात्मक वृद्धि—विद्यालय, अध्यापक एवं छात्र

विगत दो दशाब्दियों में उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। छात्र संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अध्यापकों की भी नियुक्ति करनी पड़ी। इस अध्याय के अन्त में संलग्न सारणी ५, ७ और ६ से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद सीनियर बेसिक विद्यालयों, अध्यापकों तथा छात्रों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि होती रही। वर्ष १९६९—७० में सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या ८,०८९ हो गयी। वर्ष १९७०—७१ में कक्षा ६ से ८ तक १४.९२ लाख बालक तथा ३.७० बालिकाएं होंगी।

वर्ष १९६६—६७ से १९६८—६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में ३३४ बालकों के तथा १२७ बालिकाओं के नये सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये। चतुर्थ योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में खोले गये अथवा उन्चीकृत विद्यालयों के विवरण नीचे दिये जाते हैं:—

वर्ष		नवीन सीनियर बेसिक स्कूल					
		ग्रामीण क्षेत्र			नगर क्षेत्र		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१९६९—७०	..	२१०	११६	३२६	..	५०	५०
१९७०—७१	..	१००	१००	२००	..	२५	२५

विगत तीन वार्षिक योजना-काल में ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर स्कूलों में १,६०४ अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। चतुर्थ योजना में नियुक्त किये गये अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या नीचे की तालिका से विदित हो जाती है:—

				ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र
वर्ष १९६९—७०	..	..	..	५००	६०
वर्ष १९७०—७१	..	..	..	३००	३०

वर्ष १९७०—७१ में १५० सीनियर बेसिक स्कूल अनुदान सूची पर लाये गए और ५० नए विद्यालयों को एक मुश्त अनुदान दिया गया।

३—२. पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य पुस्तक

जूनियर हाई स्कूलों के गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया गया है। यूनीसैफ/यूनेस्को के एक कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रयास राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के तत्वावधान में किया जा रहा है। सीनियर बेसिक स्कूल की कक्षा ८ तक हिन्दी, अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया गया है।

सीनियर बेसिक स्कूल

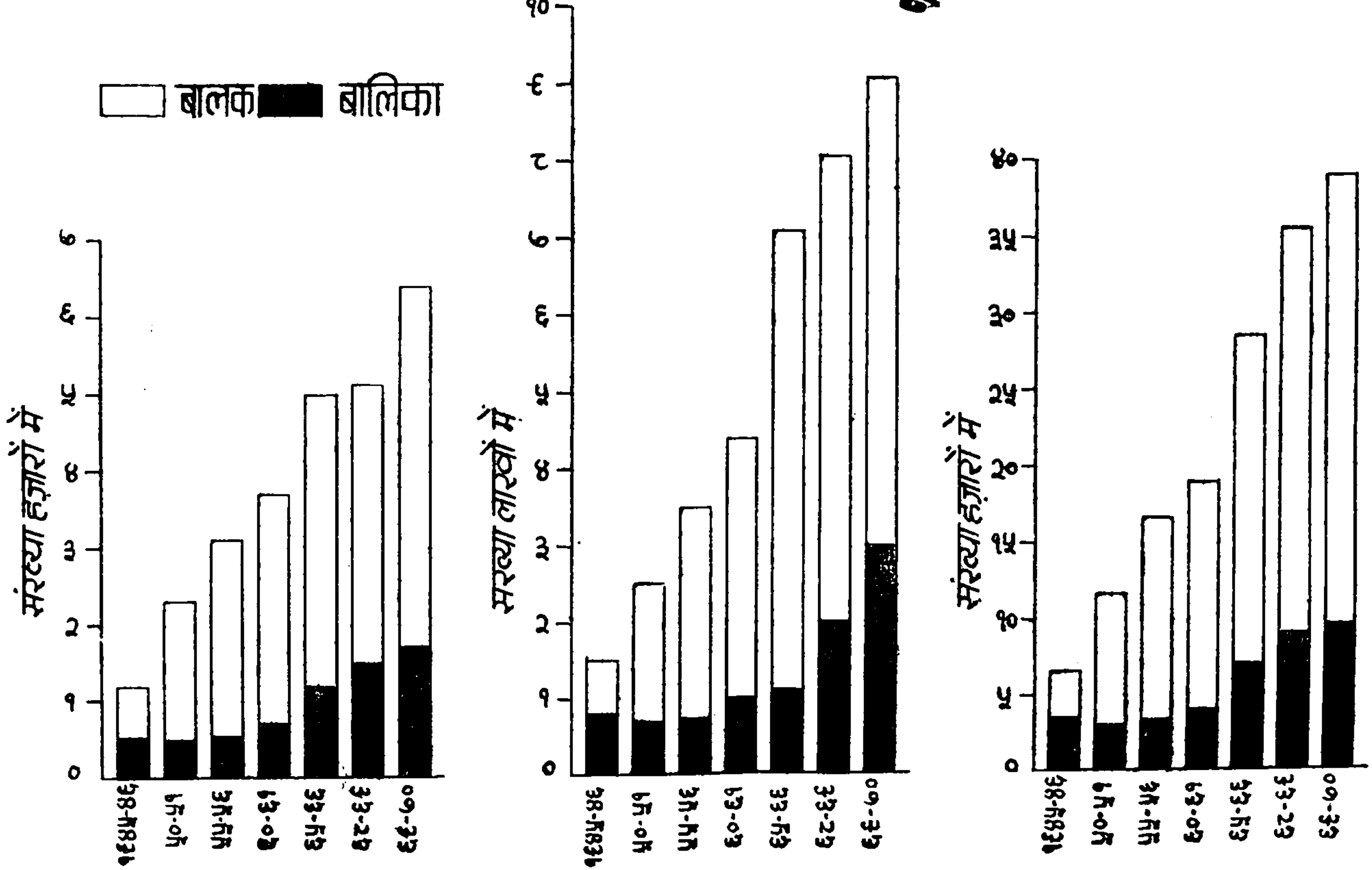

३–३. पुनर्व्यवस्था योजना

बेसिक शिक्षा की संकल्पना को सीनियर बेसिक स्कूल के स्तर पर कार्यरूप में लाने के लिए वर्ष १९५४ में शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत शिल्प का शिक्षण विशेषत: कृषि और कताई बुनाई-पुनर्व्यवस्थित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी पग उठाये गये। विद्यालय और समुदाय को एक दूसरे के निकट लाने के लिए २,२०० युवक मंगल दल तथा ५०० सामुदायिक केन्द्र, पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में संगठित किये गये हैं। पुनर्व्यवस्था योजना के परिणामस्वरूप इन विद्यालयों के शिल्प की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इनमें कृषि के उत्पादन का विवरण नीचे दिया जाता है :--

वर्ष	उपज की आय का मूल्यांकन रु०
१९६५–६६	१८,२३,११५
१९६९–७०	३१,००,०००
१९७०–७१	३१,५०,०००

पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में प्राप्त २१,००० एकड़ भूमि में लगभग १५,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है। ८,००० एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन पहले दिये जा चुके हैं। वर्ष १९६९–७० में १० विद्यालयों को पम्पिंग सेट के लिए प्रति विद्यालय ७०० रुपये के हिसाब से सिंचाई अनुदान दिया गया। वर्ष १९७०–७१ में कुल २४ विद्यालयों को पम्पिंग सेट और रहट के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

३–४. प्रशिक्षण

प्रदेश में इस समय चार राजकीय तथा एक अशासकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज हैं। महिलाओं के लिए तीन राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, मोदीनगर (मेरठ) और झांसी में तथा दो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा और देहरादून में है। गृहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में सी० टी० स्तर पर गृहविज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। विज्ञान शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु ६५ प्रतिशत विज्ञान की अभ्यर्थिनियों को वरीयता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए अध्यापिकाओं की कमी दूर करने के विचार से ग्रामीण क्षेत्र की अभ्यर्थिनियों को भी प्रवेश में वरीयता दी जाती है। सी० टी० स्तर के प्रशिक्षण विद्यालयों में न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा होती है। वर्ष १९७० में कुल ३८१ परीक्षार्थी सी० टी० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

वर्ष १९६६–६७ में जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० कोर्स के स्थान पर नवीन एक वर्षीय बी० टी० सी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इससे प्रशिक्षण-विद्यालयों के पाठ्यक्रम में एकरूपता लायी गयी तथा प्रति वर्ष प्रशिक्षित किये गये अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई।

३–५. निरीक्षण

प्रारम्भिक विद्यालयों के निरीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम अपनाये गये हैं। जिन जनपदों में विद्यालयों की संख्या अत्यधिक है उनमें सह-जिला विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षिका तथा अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक के पद सृजित किये गये हैं। प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों तथा सहायक विद्यालय निरीक्षिकाओं की संख्या में भी वृद्धि की गयी है। निरीक्षण के स्तर में उन्नयन हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के तत्वावधान में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के प्रशिक्षण का सघन कार्यक्रम अपनाया गया। निरीक्षण के प्रपत्र में भी सुधार किया जा रहा है।

सीनियर बेसिक स्कूलों के सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत योजना चलायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत २८६ स्कूल एकीकृत किये जा चुके हैं। अनुदान तथा सघन निरीक्षण से इन स्कूलों के स्तर में उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है। इन एकीकृत विद्यालयों का निरीक्षण सीनियर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के दल द्वारा सम्पन्न किया जाता है और प्रशासकीय सुविधा के लिए ये सीनियर बेसिक तथा संलग्न प्राइमरी विद्यालय एक ही प्रधान अध्यापक की देख रेख में चलने हैं।

३–६ विज्ञान की शिक्षा

बीसवीं शताब्दी में विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का व्यापक प्रसार हो रहा है। नवीन तथ्य हमारे ज्ञान की परिधि में आ रहे हैं। अतः युग की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की शिक्षा सर्व सुलभ करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। यूनिसेफ, यूनेस्को के विज्ञान की शिक्षा के एक कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक विद्यालयों के विज्ञान का पाठ्यक्रम समुन्नत एवं आधुनिकीकृत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विगत तीन वार्षिक योजना काल में ४०७ विद्यालयों में सामान्य विज्ञान के अध्यापन हेतु अनुदान दिये गये। वर्ष १९६९–७० में ३०८ सीनियर बेसिक विद्यालयों को विज्ञान के लिए अनुदान दिये गए। वर्ष १९७०–७१ में २३६ विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई।

३–७ अध्यापक कल्याण कार्य

(१) सीनियर बेसिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान तथा मंहगाई-भत्ते में वृद्धि कर दी गयी है। वर्तमान समय में इस स्तर के अध्यापकों का वेतनमान निम्नवत् है :—

	वेतन-क्रम	मंहगाई-भत्ता
प्रधान अध्यापक	१२०–६–१५० द० रो० ६–१८० द० रो० १०–२००	१०९ रु० तक वेतन पर ५६ रु० प्रतिमास, ११० से १४९ तक ७६ रु० प्रतिमास तथा १५०
सहायक अध्यापक	१००–४–१२० द० रो० ५–१४५ द० रो० ५–१६०	रु० से २०० रु० तक ९३ रु० प्रतिमास।

(२) अध्यापकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार दिया जाता है।

(३) कार्यकुशल प्रधान अध्यापकों को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने की भी व्यवस्था है।

(४) इन अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना विभाग द्वारा चलायी गयी है।

(५) प्रसार अध्यापकों की सेवा दशा में सुधार करने के लिए २,०९९ अध्यापकों की आत्मस्थानीय नियुक्ति की गयी जिनमें से १,३६४ अध्यापकों का स्थायीकरण भी कर दिया गया। पुनर्व्यवस्था योजना के अध्यापकों का पृथक् स्थायी संवर्ग गठित किया जा चुका है।

३–८ बालिका शिक्षा हेतु चतुर्थ योजना में विशिष्ट कार्य-क्रम

सीनियर बेसिक स्कूल की निर्धन छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकालय हेतु वर्ष १९६९–७० में १०० तथा वर्ष १९७०–७१ में भी १०० विद्यालयों को अनुदान दिए गए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए बालिका विद्यालयों में क्रमोत्तर कक्षायें खोलने के लिए वर्ष १९६९–७० में ४९ तथा १९७०–७१ में ४१ विद्यालयों को अनुदान दिये गये।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

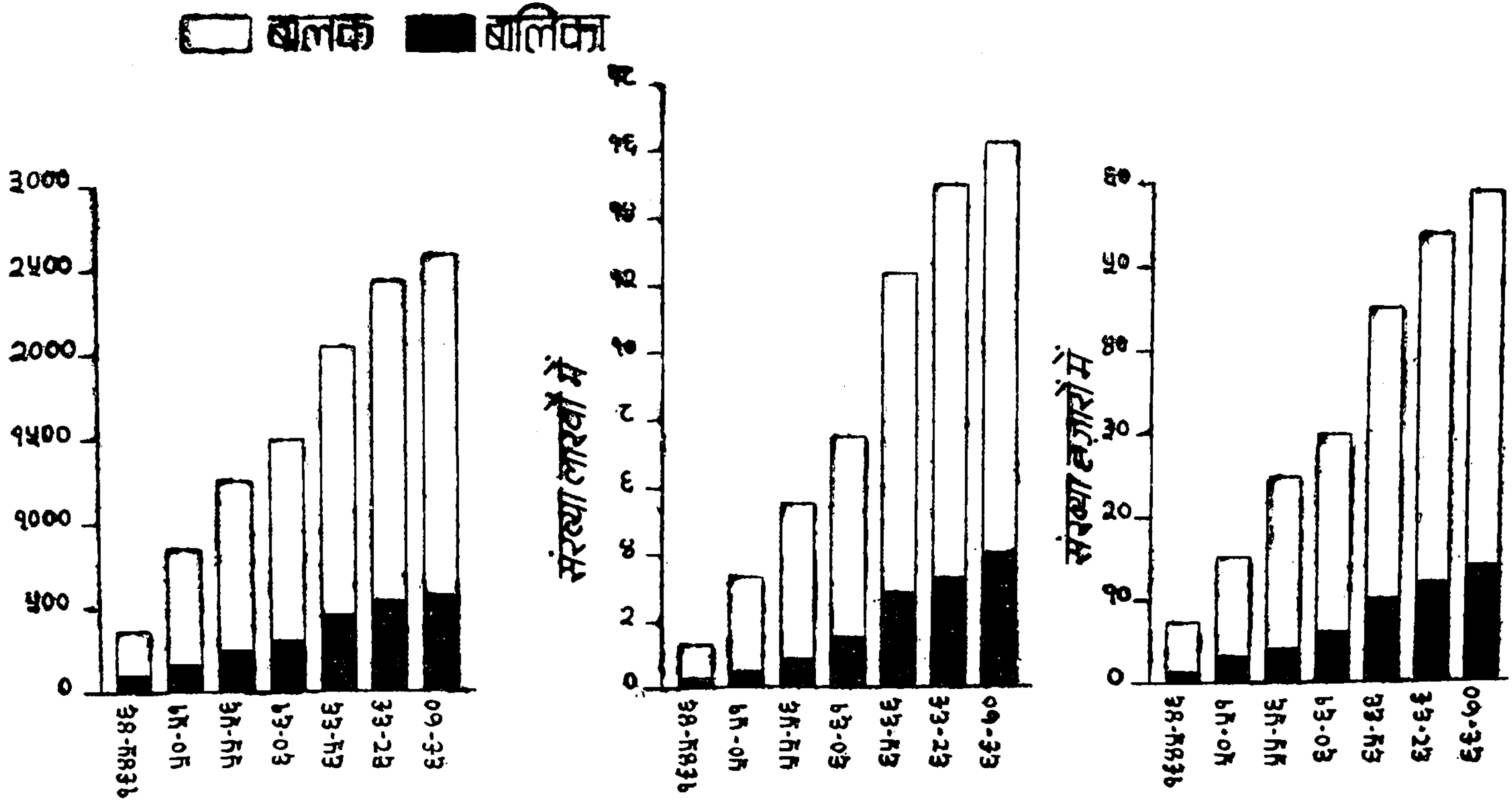

अध्याय–४

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

४–१. संख्यात्मक वृद्धि–विद्यालय, अध्यापक एवं छात्र

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में प्रति वर्ष उतरोत्तर वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में केवल ४४२ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह संख्या ६८७ थी और १६६६–७० में ३१४६ हो गयी। १६७०–७१ में उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या ३,३१४ हो जाने की सम्भावना है। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ अध्यापकों और छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

४–२. पाठ्य-क्रम

बीसवीं शताब्दी में ज्ञान के व्यापक प्रसार का प्रभाव माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम पर भी, विशेषकर गणित और विज्ञान, में दृष्टिगोचर होता है। हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के गणित के पाठ्यक्रम में पहले तारतम्यता नहीं थी। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इण्टरमीडिएट कक्षा में गणित पढ़ने वाले छात्र को गणित के नवीन विषयांग-त्रिकोणमिति, कैलकुलस, ठोस ज्यामिति आदि एक साथ पढ़ने पड़ते थे। इससे गणित के नवीन विषयांगों का बोध सम्यक् रूप से नहीं हो पाता था। अब हाई स्कूल के गणित के पाठ्यक्रम में त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और ठोस ज्यामिति, का समावेश कर दिया गया है। इस प्रकार हाई स्कूल में ही इन विषयांगों से परिचय हो जाता है और इण्टरमीडिएट कक्षा में जाने के बाद छात्र के लिए कई नवीन विषयों को एक साथ ही हृदयंगम करने की समस्या नहीं होती। अब हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक विज्ञान का समावेश कर दिया गया है और उसे परीक्षा का विषय भी रखा गया है।

१६७० की परीक्षाओं में निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम में सुधार करके इनको अधिक ग्राह्य एवं प्रगतिशील बनाया गया है:––

हाई स्कूल स्तर पर––हिन्दी, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, जर्मन, रूसी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र तथा वस्त्रोद्योग।

इण्टर स्तर पर ––भौतिक विज्ञान, जर्मन, रूसी, संस्कृत, सामान्य हिन्दी, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान, भू-विज्ञान, संगीत, कला तथा कृषि। १६७२ की परीक्षाओं से अंग्रेजी, रसायन विज्ञान तथा कृषिवर्ग के समस्त विषयों में (हिन्दी छोड़कर) नवीन पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

४–३. विज्ञान की शिक्षा

विज्ञान के भी पाठ्यक्रम में विकास करने के लिए यूनेस्को/यूनीसेफ के एक कार्यक्रम के अनुसार राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान और केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है।

बी० एस–सी० अध्यापकों के शास्त्रीय ज्ञान को अद्यावधि करने के लिए स्नातकोत्तर संक्षिप्त डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया गया है। इस कोर्स की इस समय १२ इकाइयां (४ रसायन शास्त्र, ६ भौतिक शास्त्र, १ वनस्पति शास्त्र और १ जन्तु शास्त्र) चल रही हैं।

सहायता प्राप्त स्कूलों के अदीक्षित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कोर्स रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ और केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में प्रत्येक वर्ष अभिनवीकरण कोर्स का आयोजन किया जाता है।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में एल० टी० साइंस कोर्स का प्रशिक्षण होता है जिसमें ३० अभ्यर्थियों को प्रविष्ट किया जाता है।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त वेतन वृद्धियां भी स्वीकृत की जाती हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विज्ञान स्नातकों के लिए सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में २१ छात्रवृत्तियां एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में २४ छात्रवृत्तियां तथा निःशुल्कतायें भी स्वीकृत की गयी हैं।

वर्ष १९६९–७० में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए १०० रु० के नौ पुरस्कार और बी० एस-सी० तथा समकक्ष कक्षाओं में २०० रुपयों के सात पुरस्कार उत्तम सैद्धान्तिक या व्यावहारिक कृतियों जैसे—वैज्ञानिक आविष्कारों के माडल, वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक लेख, बहुमूल्य वैज्ञानिक यंत्रों के सस्ते प्रतिमान आदि के लिए दिये गये हैं।

इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों के समान साइंस टैलेण्ट सर्च की भी योजना चालू की गयी है। १९७० में उत्तर प्रदेश से इस परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हुये थे उनमें से १४ अभ्यर्थी छात्र-वृत्ति तथा योग्यता प्रमाण-पत्र देने के लिये चुने गये।

४–४. प्रशिक्षण

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदेश में चार राजकीय तथा चार अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इनमें से एक राजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय महिलाओं के लिए है। अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी अभ्यर्थिनियों का प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में कुल निर्धारित प्रवेश स्थानों में ५० प्रतिशत स्थान महिलाओं के प्रवेशार्थ निर्धारित हैं।

राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, प्रत्येक में १०० तथा राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में १२० वार्षिक स्थान हो गये हैं। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में ८० एल० टी० (विज्ञान) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अदीक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदेश में ५ केन्द्र चालित हैं जिनमें सेवारत अध्यापकों को एल० टी० (सामान्य) तथा एल० टी० (हिन्दी) का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन ५ केन्द्रों में से एक शासकीय तथा ४ अशासकीय हैं। इन कन्द्रों में एल० टी० सेवाकालीन प्रशिक्षण दो वर्षों में प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षार्थी विभागीय एल० टी० परीक्षा उत्तीर्ण करक प्रशिक्षित एल० टी० के समान स्तर प्रकृतेव प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न ८ केन्द्रों पर प्रशिक्षित

अध्यापकों एवं निरीक्षक वर्ग को शिक्षा की नवीनतम पद्धतियों से अवगत करने के लिए विभिन्न विषयों पर तीन माह का पुर्नशिक्षण प्रदान किया जाता है :—

(१) राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी

(२) राजकीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ

(३) ,, ,, ,, ,, मुजफ्फरनगर

(४) ,, ,, ,, ,, झांसी।

(५) राजकीय केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

(६) राजकीय महिला सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ

(७) राजकीय गृहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

(८) राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

इनके अतिरिक्त चार मान्यताप्राप्त एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय भी हैं। अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग हैं और आगरा, मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय डिग्री कालेजों में भी शिक्षा विभाग हैं जो बी० टी० अथवा बी० एड० की उपाधि प्रदान करते हैं। राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ तथा राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के सुदृढ़ीकरण के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्राविधान किया गया है।

राज्य हिन्दी संस्थान वर्ष १९६९–७० में हिन्दी का शिक्षण उत्कृष्ट करने के लिए स्थापित किया गया। इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) सीनियर बेसिक स्कूल तथा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण

(२) हिन्दी के अध्यापकों का अभिनवीकरण कोर्स तथा

(३) उचित पाठ्य सामग्री तैयार करना।

राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और रामपुर में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

४–५. अध्यापक कल्याण कार्य

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक तथा सीनियर बेसिक विद्यालय के अध्यापकों के वेतन मान १ मार्च, १९६९ से पुनरीक्षित किये गये। १ जुलाई, १९६९ से ये वेतन मान पुन: पुनरीक्षित किए गए जो निम्न प्रकार हैं :—

अध्यापकों की श्रेणी		पुनरीक्षित नवीन वेतन मान
		रु०
(१) प्रधानाचार्य (इण्टर कालेज)	..	२७५–२५–४०० –द० रो०–२५–४७५–३०–५३५–द० रो०–३०–६२५–५०–६७५–४५–७२० –द० रो०–४५–६००।
(२) प्रधानाचार्य (हाई स्कूल)	..	२४०–१५–३१५–द० रो०–१५–३४५–२०–४०५–द० रो०–२०–५०५–द० रो०–२०–५२५–२५–६००।

अध्यापकों की श्रेणी	पुनरीक्षित नवीन वेतन मान
	रु०
(३) इन्टर कालेज के सहायक शिक्षक (विषय) (इन्टर कालेज के उप प्रधानाचार्य भी यदि हों तो इसमें सम्मिलित)	२१५–१५–२६०–द० रो०–१५–३६५– द० रो०–१५–४१०–२०–४५०–द० रो०– २० ५५०।
(४) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (एल० टी)	१३८–८–१७०–१०–१८०–द० रो०– १०– २३० –द० रो०–१०–२६०–१२–२८४–द० रो०–१२ -३२०–१५-३५०।
(५) प्रशिक्षित पूर्व स्नातक शिक्षक ..	१००–५–११०–६–१२८– द० रो०–६–१४०– ७–१६१– द०रो०– ७–१६८–८–२००– द० रो०– १०–२५० ।
(६) पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक (जे० टी० सी०)	८४–३–६०–५–१०५– द० रो०– ५–१३० द० रो० –५–१५०–६–१५६–द० रो० ६–१८०।

क–वेतन भुगतान की समुचित व्यवस्था—जनवरी, १६७१ में "उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १६७१" प्रख्यापित किया गया है जो १ अप्रैल, १६७१ से प्रवृत्त होगा। इस अध्यादेश के द्वारा सहायताप्राप्त उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के नियमित वेतन वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त गौरवपूर्ण एवं कल्याणकारी कार्य है।

ख–सेवा में सुरक्षा--इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १६५८ की धारा १६ जी के द्वारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवायें पहले से अधिक सुरक्षित हो गयी हैं। अब किसी भी अध्यापक को विभाग की अनुमति के बिना सेवा से अलग नहीं किया जा सकता।

ग–ग्रेच्युटी की योजना---१ अप्रैल, १६६४ से प्रदेश के प्राइमरी से डिग्री स्तर तक के अध्यापकों के लिए ग्रेच्युटी की योजना लागू की गयी है। इस वर्ष इस कार्य के लिए एक लाख रुपया का प्राविधान किया गया है।

घ–त्राभत्रयी योजना--१ अक्तूबर, १६६४ से सभी अध्यापकों के लिए प्राविडेन्ट फन्ड, अनिवार्य बीमा तथा पेंशन एवं परिवार पेंशन की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। इसके लिए इस वर्ष के बजट में १६ लाख रुपये का प्राविधान है।

च–अन्य सुविधाएं--उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त इन विद्यालयों के अध्यापकों के निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी देने का प्राविधान है :—

(१) २०० रु० प्रति मास वेतन पाने वाले अध्यापकों के आश्रितों को नि:शुल्कता

(२) अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति (मेरिट स्कालरशिप) योजना

(३) नेशनल लोन स्कालरशिप की अदायगी से छूट

(४) स्टेट फाउन्डेशन फार टीचर्स वेलफेयर कमेटी द्वारा संकटग्रस्त अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता

(५) कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार

छ—दक्षता हेतु पुरस्कार—उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुरस्कार देने की नीति वर्ष १९६६–६७ से अपनायी गयी है। विगत तीन वार्षिक योजनाकाल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पुरस्कार दिये गये।

वर्ष १९६९–७० में ५३ अध्यापकों को यह पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष ३८ अध्यापकों को पुरस्कार दिया गया।

ज—शिक्षणेतर कर्मचारी—सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये भी कार्य किये गये हैं। १ जनवरी, १९७१ से इन कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन मान १–७–१९६९ से पुनरीक्षित कर दिये गये हैं जो निम्नवत् हैं:–

कर्मचारियों की श्रेणी	पुनरीक्षित वेतन मान
(१) प्रधान लिपिक (इण्टर कालेज)	१००–५–१२५-द०रो०-५-१५०-द०रो०-५–१७०
(२) प्रधान लिपिक (हाई स्कूल)	८०-४-१००-द०रो०-४-१२०–द०रो०-४–१४०
(३) लिपिक/पुस्तकालयाध्यक्ष	८०-४-१००-द० रो०-४-१२०-द०रो०-४-१४०

४–६. छात्रवृत्तियां

शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली एवं योग्य छात्रों को निम्न छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है :—

(१) जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के आधार पर सभी जिलों के प्रथम ५ बालक/बालिकाओं की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में योग्यता क्रम से १५ बालक/बालिकाओं को हाई स्कूल कक्षाओं में १०० रु० प्रतिमास की दर से और इण्टर कक्षाओं में १५० रु० की दर से छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत १५ छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायगी। छात्रवृत्तियों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं० तथा स्तर	छात्रवृत्तियां		आर्थिक सहायता	
	संख्या	दर (रु० प्रति मास प्रति छात्र)	संख्या	दर (रु० प्रति वर्ष प्रति छात्र)
१	२	३	४	५
१. रिसर्च स्तर	७६ (३६ राष्ट्रीय एवं ३१ ऋण छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं)	५० से २१०	..	..

१	२	३	४	५
२ स्नातकोत्तर स्तर	१५६० (इनमें २२० वर्सरीज, ७७६ राष्ट्रीय एवं ३३६ राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं)	३५ से ११०	४५४	१८० से २००
३ स्नातक स्तर	२४२० (इनमें ४४० वर्सरीज, ६६५ राष्ट्रीय एवं १०१५ राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं)	१२ से ८५	१२३१	७५ से २००
४ इण्टर स्तर (कक्षा ११ से १२)	१०८७१ (इनमें १९५२ राष्ट्रीय तथा ६५१ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं)	८ से ५०	४५७१	५० से १००
५-हाई स्कूल स्तर (कक्षा ९-१०)	११४०७	८-१५३	३६७०	१५-७५
६-सीनियर बेसिक स्तर (कक्षा ६-८)	६३७३	४-८	२६६८	१५-५०
७-जूनियर बेसिक स्तर (कक्षा १-५)	१६४२	२-३	३२२३	४-१०

उपर्युक्त छात्रवृत्तियों (राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों को छोड़ कर) तथा अन्य आर्थिक सहायता के लिए वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में कुल ७०,४९,७२० रु० का प्राविधान आयोजनेतर बजट के अन्तर्गत किया गया है।

ग्रामीण विद्यालयों के मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु वर्ष १९७०-७१ में ५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इन छात्रवृत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :--

(१) स्नातक ..	१८	छात्रवृत्तियां	२० रु०	प्रतिमास की दर से
(२) इण्टर ..	२००	,,	१६ रु०	,, ,,
(३) हाई स्कूल ..	६००	,,	१० रु०	,, ,,
(४) सीनियर बेसिक स्कूल	७५०	,,	५ रु०	,, ,,

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय पढ़ने वाले छात्रों को १० रु० प्रति मास की दर से ३ छात्रवृत्ति प्रति जनपद प्रति वर्ष देने का प्राविधान है। इसके लिए वर्ष १९७०–७१ में १९,४४० रु० का प्राविधान किया गया।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति हेतु वर्ष १९७०–७१ में ३८,४५,७०० रु० का प्राविधान किया गया है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ६,००० रु० तक है।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों से प्रभावित स्वर्णकारों के बच्चों को ७वीं कक्षा से स्नातकोत्तर कक्षा तक शैक्षिक सत्र १९७०–७१ में छात्रवृत्ति हेतु १६ लाख रु० का प्राविधान किया गया है।

विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कम से कम द्वितीय श्रेणी में पास होने वाली और एम० एस-सी० के बाद ३ वर्ष तक शिक्षण कार्य का आश्वासन देने वाली छात्राओं को एम० एस-सी० के लिए १०० रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले वीरचक्र पदक विजेताओं के बच्चों को प्राइमरी से कक्षा १२ तक आर्थिक सहायता देने के लिए इस वर्ष ५ हजार रुपये का प्राविधान है।

४–७. पुस्तकालय

शिक्षा के प्रसार में पुस्तकालय का योगदान महत्वपूर्ण है। चतुर्थ योजना में सीनियर बेसिक स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिये आर्थिक व्यवस्था की गयी है। वर्ष १९६९–७० में २० अशासकीय तथा २० राजकीय विद्यालयों को पुस्तकालय के लिये आर्थिक सहायता दी गई। इस वर्ष भी ३६ अशासकीय तथा २० राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिये क्रमशः १,३४,००० रु० तथा ५०,००० रु० स्वीकृत किए गए।

निर्धन छात्रों की सहायता के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध करने के लिए वर्ष १९६९–७० में ३७ राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अनुदान दिया गया। वर्ष १९७०–७१ में ८९ विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकों के लिए ५९,००० रु० का अनुदान दिया गया।

४–८. खेल

अशासकीय विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था हेतु वर्ष १९६९–७० में १८ विद्यालयों को अनुदान दिया गया। वर्ष १९७०–७१ में ६ विद्यालयों को इसके लिए ३६,००० रुपये का अनुदान दिया गया है।

४–९. दक्षता अनुदान

प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापन एवं अनुशासन के स्तर का उन्नयन करने के लिए दक्षता अनुदान उत्तम विद्यालयों को दिया जाता है। वर्ष १९६९–७० में ६० विद्यालयों को अनुदान दिया गया तथा वर्ष १९७०–७१ में ६० विद्यालयों को १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

४–१०. वर्ष १९७०–७१ के अन्य अनुदान

वर्ष ७०–७१ में २५ गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया। पिछड़े क्षेत्रों के १५५ विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया। दो नए विद्यालयों को एकमुश्त अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। ४५ विद्यालयों को भवन विस्तार एवं

काष्ठोपकरण हेतु आर्थिक सहायता दी गई। १३ सहशिक्षा वाले विद्यालयों में बालिकाओं की विशेष सुविधा हेतु प्राविधान किया गया है। इस वर्ष शासन द्वारा एक नया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया और दो राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल उच्चीकृत किए गए। २५ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया। बालिकाओं के २ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बस की व्यवस्था की गयी। ३३ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण प्रारम्भ किया गया। ६५ विद्यालयों में विज्ञान सम्बन्धी उपकरण तथा ३१ विद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए अनुदान दिया गया।

४--११-माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इण्टरमीडिएट शिक्षा विधेयक, १९२१ के आधार पर स्थापित हुआ। परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

परिषद् की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष तथा आगामी दो वर्षों की परीक्षाओं से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैं :—

वित्तीय वर्ष		परीक्षा वर्ष	हाई स्कूल परीक्षा			इण्टरमीडिएट परीक्षा		
			लड़कों के विद्यालय	लड़कियों के विद्यालय	योग	लड़कों के विद्यालय	लड़कियों के विद्यालय	योग
१९६८–६९	..	१९७०	२,४५७	५१०	२,९६७	१,३२२	२८४	१,६०६
१९६९–७०	..	१९७१	२,६२५	५३९	३,१६४	१,४६०	३०३	१,७६३
१९७०–७१	..	१९७२	२,८१२	५५५	३,३६७	१,५५३	३१०	१,०६३

१९४७–४८ में परीक्षार्थियों की संख्या ५६,९१० थी। १९७० की परीक्षाओं में यह संख्या ८,०९,४०६ हो गई थी। १९७१ की परीक्षाओं में यह संख्या, ८,७५,७८१ हो जाने की सम्भावना है। इससे स्पष्ट है कि परिषद् के कार्यभार में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। इस दृष्टि से मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर तथा इलाहाबाद चार स्थानों में परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय तथा वर्तमान कार्यालय को केन्द्रीय कार्यालय के रूप स्थापित करने की योजना पर विचार हो रहा है।

अध्याय–५

उच्च शिक्षा

५–१. संख्यात्मक वृद्धि—विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राध्यापक एवं छात्र

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता के बाद संख्यात्मक वृद्धि का युग प्रारम्भ हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समापन के पश्चात् यह स्वाभाविक था। इस आख्या के अन्त में संलग्न सारणी ६,८ और ९ से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राध्यापकों तथा छात्रों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लग जाता है। इस प्रदेश में वर्ष १९६९–७० में कुल २३६ कालेज, ११ विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के समकक्ष २ संस्थायें थीं। वर्ष ७०–७१ में ७ डिग्री कालेज अनुदान सूची पर लाये गए। संख्यात्मक वृद्धि का यह क्रम निकट भविष्य में उच्च शिक्षा के नियोजन की समस्याओं का भी संकेत करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तब महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी और उनके लिये आर्थिक प्राविधान भी करना होगा।

५–२. पाठ्य-विषय, शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्य पुस्तक

योजना काल में उच्च शिक्षा की प्रगति में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक विकास भी हुआ। विश्वविद्यालय के पाठ्य-विषयों में नवीन विषयों का समावेश किया गया जैसे समाज शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रबन्ध एवं व्यापार प्रशासन। रुड़की में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा रुद्रपुर (नैनीताल) में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वर्ष १९५६ में खोला गया। वर्ष ६६–६७ से मेरठ और कानपुर में भी विश्वविद्यालय स्थापित हो गये हैं। पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा हेतु टेहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में राजकीय महाविद्यालय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खोला गया है।

पुराने विश्वविद्यालयों में नवीन विषयों का भी अध्यापन प्रारम्भ किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० टेक० तथा एम० एस–सी० बायोकेमिस्ट्री के पाठ्यक्रम वर्ष १९६८-६९ में चालू किये गये।

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल की एम० एस-सी० कक्षा में वर्ष १९६७–६८ से न्यूक्लियर फिज़िक्स तथा छात्राओं के लिये बी० ए० कक्षा में संगीत का अध्यापन प्रारम्भ किया गया। काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) में एम० एस-सी० कक्षा में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के शिक्षण की व्यवस्था की गयी। राजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, हिन्दी, उर्दू, राजनीति शास्त्र, इतिहास व मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की गईं। राजकीय डिग्री कालेज, पिथौरागढ़ में बी० एस० सी० तथा गोपेश्वर (चमोली) में बी० ए० और बी० एस-सी० का अध्यापन १९६६–६७ सत्र से हो रहा है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर तथा मेरठ के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली आरम्भ की गई है। मेरठ विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम एवं एम० फिल० का अध्यापन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से अध्यापन की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों की हिन्दी में रचना तथा अनुवाद के लिये हिन्दी ग्रन्थ एकादमी स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय की पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये वर्ष १९६९–७० में सात लाख रुपये का अनुदान दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिये पांच लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

५—३. प्राध्यापक कल्याण कार्य

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों को १ अप्रैल, १९६६ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत नये वेतन क्रम दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में वृद्धि कर दी गयी है।

५—४. छात्र कल्याण कार्य

स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में छात्र कल्याण के कार्य-क्रम हेतु अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर) के पद सृजित किये गये हैं जिन पर अनुभवी एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किये जाते हैं।

प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी छात्रों के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। निर्धन छात्रों को पुस्तक हेतु सहायता का प्राविधान है। इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सहकारी वाचनालय खोले गये हैं जिनसे छात्रों को पूरे सत्र के लिये पुस्तकें दी जाती हैं।

विश्वविद्यालयों के छात्रों के सेवायोजन सम्बन्धी सूचनायें प्रसारित करने के लिये छात्र सेवायोजन ब्यूरो स्थापित किये गये हैं।

अध्याय–६

विविध

६—१. राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

इस संस्थान में, मुख्यतः स्नातकोत्तर अध्यापक प्रशिक्षण तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान होता हैं। शिक्षा विभाग की एल० टी० परीक्षा के लिये छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बी० टी० सी०, सी० टी०, एल० टी० एवं अन्य अध्यापक के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम इस संस्थान द्वारा तैयार किये जाते हैं। शिक्षा विभाग की तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है।

६—२. मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

मनोविज्ञानशाला का मुख्य कार्य छात्रों एवं छात्राओं को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक निर्देशन प्रदान करना तथा छात्रों की निर्देशन सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।

उपचारात्मक शिक्षण योजना—सार्वजनिक परीक्षाओं में असफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत अधिक होने से राष्ट्रीय धन एवं समय की अत्यधिक हानि हो रही है। राष्ट्रीय धन के इस क्षय को रोकने के लिये मनोविज्ञानशाला द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की एक योजना १९७०–७१ में कार्यान्वित की गयी। गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण १७ स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ३०० छात्रों एवं छात्राओं के उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया गया।

शोध कार्य

(क) बीजगणित निदानात्मक परीक्षण तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षा कक्षा ६ का मानीकरण

६—३. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

यह संस्थान निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तकनीकी अंग के रूप में प्रादेशिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सघन कार्यक्रमों का सम्पादन एवं अध्ययन करता है। इसका लक्ष्य विशेषतः विज्ञान शिक्षा के उन्नयनार्थ विज्ञान के अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना है।

अल्पकालीन दिग्दर्शक कोर्स

विज्ञान शिक्षकों को विज्ञान की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्षों में आधुनिकीकृत किया गया। इस वर्ष ९ अल्पकालीन दिग्दर्शक कोर्स आयोजित किये गये जिससे २४७ अध्यापक लाभान्वित हुए।

६—४. राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र० प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रयास कर रहा है। आख्यागत वर्ष में उन्नयन घनीभूत कार्यक्रम की श्रृंखला के अन्तर्गत प्रदेश के तीन मण्डलों—इलाहाबाद, झांसी एवं पर्वतीय मण्डल नैनीताल के खण्ड स्तरीय निरीक्षक वर्ग के लिये ६ पुनर्शिक्षण गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस प्रकार २५८ निरीक्षकों को

पुर्नशिक्षित किया गया। इन गोष्ठियों में नवीन शिक्षण पद्धतियों, विभागीय निर्देश पुस्तकों के अध्ययन एवं सहायक शैक्षणिक सामग्री के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। कृषि शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रदेश के मण्डलीय कृषि पर्यवेक्षकों तथा प्रसार अध्यापकों के लिये पुनर्शिक्षण गोष्ठी, रुद्रपुर (नैनीताल) में आयोजित की गई। इस गोष्ठी से ५७ प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुये। नैनीताल मण्डल के निरीक्षक वर्ग के लिये शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी संस्थान में आयोजित की गई।

६--५. आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षकों का प्रशिक्षण है। इसमें प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर विशेष बल दिया जाता है। प्रशिक्षण विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़ाने की आधुनिक विधि रचनात्मक शैली (Structural approach) के अनुसार होता है। प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के लिये उपयुक्त पुस्तकों का लिखना तथा अन्य प्रकार के अंग्रेजी पढ़ाने के आधुनिक साधन तैयार करना भी इस संस्थान का एक मुख्य कार्य है।

वर्ष १९७० तक लगभग १,०१५ शिक्षकों ने डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा लगभग ८५० शिक्षक, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी या ट्रेनिंग कालेजों के प्राध्यापकों ने ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण या पुनर्प्रशिक्षण में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त लगभग १,२५० अन्य अंग्रेजी के अध्यापकों ने विभिन्न जिलों में संस्थान के प्रवक्ताओं की सहायता से संचालित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया।

६--६. राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में यही एक राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इस विद्यालय में गृह विज्ञान का दो वर्ष का प्रशिक्षण देकर सी० टी० गृह विज्ञान का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

अन्य वर्षों की भांति गृह कला में रुचि रखने वाली महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये पाक शास्त्र का अल्पकालीन प्रशिक्षण जनवरी, ७१ से प्रारम्भ किया गया। महिलाओं की सुविधा के लिये यह प्रशिक्षण २ बजे दिन से ४ बजे तक चलता है।

६--७. शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

समाज शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित शिक्षा प्रसार विभाग देश की आवश्यकताओं के अनुरूप गतिशील है। आरम्भ में इस विभाग का मुख्य कार्य निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना, साक्षरों की साक्षरता स्थिर करना, साक्षरता सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन एवं अभियानों का संचालन आदि था। इस कार्य ने समाज शिक्षा का व्यापक स्वरूप धारण कर लिया है। इस कार्य का कुछ अंश जिलों के अन्तर्गत तथा कुछ मुख्यालय पर ही किये जाने के लिये विभाजित है। जिला स्तर पर प्रौढ़ पाठशालायें, ग्रामीण पुस्तकालय, वाचनालय आदि संचालित किये जाते हैं तथा मुख्यावास पर प्रौढ़ों का ज्ञानवर्धन करने वाले शैक्षिक उपादानों का निर्माण होता है। समाज शिक्षा को गति प्रदान करने के लिये चार सचल दल हैं:—दो साक्षरता दल, एक पुस्तकालय तथा एक प्रदर्शनी दल। ये दल शिविरों, पाठशालाओं, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन कर ग्रामीण समाज का ज्ञानवर्धन करते हैं।

इस विभाग से एक मासिक पत्रिका 'नव ज्योति' का प्रकाशन होता है।

वर्ष १९७०-७१ के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों की संख्या ४ है।

श्रव्य दृश्य शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये इस विभाग के अन्तर्गत एक श्रव्य दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।

६—८. राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद

राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद वर्ष १९४९ में स्थापित किया गया। इस पुस्तकालय में पुस्तक पंजीकरण कानून १८६७ के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों का ही संग्रह किया जाता था। इस संग्रह के अतिरिक्त ३१ अक्टूबर, १९७० तक विभिन्न भाषाओं की खरीदी गयी पुस्तकों की कुल संख्या ३७,७१७ है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय का विकास हुआ और इसके अधीनस्थ ९ जनपदों में जिला पुस्तकालय खोले गये। इस पुस्तकालय में ३१ अक्टूबर, १९७० तक पंजीकृत सदस्यों की संख्या २,६२९ थी।

६—९. शिशु शिक्षा

उत्तर प्रदेश में शिशु विद्यालयों के लिये अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण हेतु २ राजकीय तथा ३ मान्यता प्राप्त शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। सी० टी० नर्सरी पाठयक्रम दो वर्ष का है। इसके अतिरिक्त राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में शिशु शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

वर्ष १९६६–६७ से १९६८–६९ तक तीन वार्षिक योजना काल में ४४ विद्यालयों को ३०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष १९६९–७० में भी ऐसे विद्यालयों को १०,००० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी। उत्तर प्रदेश में शिशु शिक्षा की प्रगति निम्नलिखित तालिका से विदित हो जाती है :—

वर्ष		विद्यालयों की संख्या	छात्र-संख्या	शिक्षकों की संख्या
१९५०–५१	..	६	८०६	२२
१९५५–५६	..	२६	२,४६८	१८४
१९६०–६१	..	७३	७,५५४	३९९
१९६५–६६	..	१५३	१९,६२५	९२२
१९६९–७०	..	२१५	२७,०००	१,२९४

६—१०. संस्कृत शिक्षा

संस्कृत पाठशालाओं के उत्थान के लिये शासन ने अनुदान में वृद्धि की है। वर्ष १९६१-६२ में सहायता प्राप्त पाठशालाओं की संख्या ६३५ थी। १९६८–६९ में उनकी संख्या बढ़कर ८०२ तथा १९६९–७० में ८०३ हो गयी है।

पहले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों में कोई वेतन-क्रम निश्चित नहीं था। प्रधानाचार्य को १२० रु० तथा सहायक अध्यापकों को ७५ रु० मासिक वेतन दिया जाता था। उन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाती थी। गत वर्ष यह निश्चित किया गया कि २०० रु० से कम वेतन पाने वाले अध्यापकों को ३० रु० मासिक तदर्थ वेतन वृद्धि दी जायेगी।

संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को वर्ष १९६९–७० में १,३७,३६० रु० की धनराशि आयोजनेतर बजट में छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत की गयी।

संस्कृत का अध्यापन या शोध कार्य के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वानों को आर्थिक सहायता देने की योजना भी प्रारम्भ की गयी है। वर्ष १९६९–७० में ऐसे ६८ विद्वानों अथवा उनके आश्रितों को ६४,५९३ रु० की धनराशि दी गयी। वर्ष १९७०–७१ में अभी तक इस प्रकार की सहायता केवल ३७ विद्वानों को ७२,६४२ रु० की स्वीकृत की जा चुकी है। इस वर्ष प्रदेश के संस्कृत विद्यालय के दो अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकृत हुआ। वर्ष १९७०–७१ में भवन एवं साज-सज्जा तथा पुस्तकालय हेतु लगभग एक लाख रु० का अनुदान दिया गया है।

६—११. आंग्ल भारतीय शिक्षा

उत्तर प्रदेश में ५२ आंग्ल भारतीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी है। इनके पाठ्यक्रम में हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय इतिहास भी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इनमें से कुछ विद्यालयों की परीक्षा कौंसिल फार इण्डियन स्कूल्स सार्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है। इनमें से कुछ विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। इन विद्यालयों में से १२ विद्यालय शिक्षा संहिता की धारा ३०८ के अन्तर्गत शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं। वर्ष १९६९–७० में इन विद्यालयों को ३,३९,२१९ रु० अनुपालन अनुदान दिया गया। वर्ष १९७०–७१ में ४,९७,६०० रु० देने का प्राविधान है।

आंग्ल भारतीय विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण सेन्टमेरी कन्वेन्ट, इलाहाबाद से संलग्न प्रशिक्षण विद्यालय में होता है।

६—१२. अरबी-फारसी शिक्षा

प्रदेश में अरबी-फारसी के सहायता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या १२१ है। अरबी में मौलवी आलिम और फाजिल तथा फारसी में—मुंशी और कामिल कुल ५ परीक्षाएं होती हैं। अरबी-फारसी परीक्षाओं के लिए एक बोर्ड है जिसमें नई तथा पुरानी अरबी शिक्षा के विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण और आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सुधार होता है।

प्रदेश में इन मदरसों की देख-रेख के लिए एक निरीक्षक है जो अरबी-फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार हैं और पदेन रामपुर के मदरसा आलिया के बोर्ड के मंत्री भी हैं। इन के अतिरिक्त दस सहायक निरीक्षक भी हैं।

अध्याय-७

विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां

७—१. राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान वर्ष १९६२ में स्थापित किया गया। इसका **उद्देश्य** अध्यापकों और उनके आश्रितों की सहायता करना है। इसके प्रबन्ध के लिये एक समिति संगठित की गई है जिसके सभापति केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इसकी प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री तथा सचिव कोषाध्यक्ष—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश हैं।

५ सितम्बर, १९६४ से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस प्रतिष्ठान की योजना के अनुसार सहायता कार्यक्रम चलाने का अधिकार दे दिया है। वर्ष १९६४ से एकत्रित धन का ८० प्रतिशत अध्यापकों की सहायता के लिये दिया जाता है और २० प्रतिशत केन्द्रीय निधि में जमा किया जाता है।

इस कोष से निम्नांकित कार्यों के लिये सहायता दी जाती है:—

(१) किसी अध्यापक की असामयिक मृत्यु अथवा लम्बी बीमारी के कारण संकट-ग्रस्त अध्यापक तथा उनके आश्रितों को।

(२) अध्यापकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता।

(३) कन्या के विवाह हेतु अध्यापकों को आर्थिक सहायता।

(४) कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों के अवकाश ग्रहण करने पर अनुग्रह अनुदान।

इस योजना से अब तक ५७८ अध्यापकों अथवा उनके आश्रितों को सहायता दी गई है। इस कार्य के लिये ३१ मार्च, १९७१ तक कुल ६,१५,०२७ रुपया व्यय हुआ है।

समाज में अध्यापक का गौरव बढ़ाने के लिये प्रति वर्ष ५ सितम्बर को भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् के जन्म दिन को शिक्षक-दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है।

७—२. उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन की योजना

भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से दक्षिणी भारतीय भाषाओं, तमिल, तेलगू तथा कन्नड़ में से दो भाषाओं का शिक्षण वर्ष १९६२–६३ से प्रारम्भ किया गया। इन भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था दस नगरों में की गई है।

प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् २०० रु० का पुरस्कार तथा द्वितीय वर्ष की डिप्लोमा परीक्षा पास करने पर २५० रु० का पुरस्कार दिया जाता है।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसका उल्लेख उसकी चरित्रपंजी में किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४ से १९७० तक सात दल परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। यह परीक्षा रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाओं के द्वारा संचालित की जाती है।

इस परीक्षा में उत्तीर्ण १५ अभ्यर्थियों को दक्षिण भारत में अध्ययन भ्रमण पर भेजने के लिये वर्ष १९६४–६५ से ७,५०० रु० आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया। इस योजना के अनुसार वर्ष १९७० में १५ अभ्यर्थियों का सातवाँ दल दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार सभा केन्द्रों पर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

७—३. नेशनल फिटनेस कोर

शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा ए० सी० सी० का संगठित कार्यक्रम 'नेशनल फिटनेस कोर' के रूप में वर्ष १९६५ से उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ किया गया। इस योजना से शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों में नवीन कार्यक्रम चलाने की पूरी योग्यता हो जाती है।

७—४. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण

संकट के समय नगर की सुरक्षा का प्रबन्ध करने का प्रशिक्षण देने के लिये नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ में खोला गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के अध्यापक, अध्यापिकायें तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भाग लेते हैं। इस केन्द्र में प्राथमिक चिकित्सा, रेडक्रास, स्काउटिंग, ट्राफिक कंट्रोल, आग बुझाना तथा हवाई हमलों से सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है।

७—५. सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

वर्ष १९६९–७० में १९३ पुस्तकालयों को १,०२,१०० रुपये का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया। इस वर्ष आयोजनागत बजट से ५१ सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तक एवं साज-सज्जा हेतु अनावर्तक अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोजनेतर बजट से भी इस वर्ष १२९ पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान दिया गया।

७—६. राष्ट्रीय बचत योजना में विभाग का योगदान

वर्ष १९७०–७१ में सम्पूर्ण प्रदेश के लिये २८.५० करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग के लिये ४.४० करोड़ रुपये का लक्ष्य है। वर्ष १९६९–७० में शिक्षा विभाग द्वारा ५.०८ करोड़ रुपया जमा कराया गया।

७—७. बालाहार योजना

अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि कम अवस्था में ही बच्चों को प्रोटीन-प्रधान संतुलित आहार देने से उनका स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है और उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। इस कारण बालाहार योजना प्रारम्भिक शिक्षा का आवश्यक अंग बन गई है।

वर्ष १९६५–६६ में 'केयर' के सहयोग से उत्तर प्रदेश के १७ जिलों में एक दुग्ध वितरण योजना चलायी गई थी। जनवरी, १९६८ से दुग्ध के स्थान पर विशेष रूप से तैयार किया गया 'बालाहार' दिया जाने लगा है। अब यह योजना ११ पूर्वी, ७ पर्वतीय और बांदा जिला—कुल १९ जिलों में चलायी जा रही है। यह बालाहार एक शिक्षा सत्र में २२० दिनों के लिये पर्याप्त होता है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चे छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में लगभग ६ दिन बालाहार प्राप्त करते हैं।

यह बालाहार प्रधानाध्यापक की देखरेख में पकाया जाता है। इसको पकाने के लिये प्रत्येक विद्यालय को २० रु० प्रतिमास एक अंशकालिक रसोइया रखने तथा १० रु० ईंधन खरीदने के लिये दिया जाता है।

यह योजना प्रदेश के उपर्युक्त जिलों के ३६० विकास खण्डों के ४,४८५ प्राइमरी विद्यालयों में चल रही है। इससे लगभग ७ लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

बालाहार योजना हेतु वर्ष १९६९–७० में आयोजनेतर आय-व्ययक में ३४,५३,००० रुपये का प्राविधान था। वर्ष १९७०–७१ के लिये अड़तीस लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों के कतिपय शिशु एवं प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों के लिये 'केयर' के सहयोग से एक बालाहार योजना जनवरी, १९७१ से चलाई गई। इससे २,५०० विद्यालयों के लगभग ५ लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

७—८. एन० सी० सी०, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के छात्र/छात्राओं को एन० सी० सी० की शिक्षा दी जाती है। एन० सी० सी०, नेशनल सर्विस कोर और नेशनल स्पोर्ट्स आर्गनाइजेशन का संगठित स्वरूप है। एन० सी० सी० में १९६९–७० में सीनियर डिवीजन के छात्र सैनिकों की संख्या १,४८,००० तथा जूनियर डिवीजन के छात्र सैनिकों की संख्या ३९,४०० और महिला छात्र सैनिकों की कुल संख्या २०,६०० थी।

एन० सी० सी० के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये ३०६ पूर्ण कालिक अधिकारी, १,४६३ अल्पकालिक एन० सी० सी० अधिकारी, ७९६ जे० सी० ओ०, १,७७३ एन० सी० ओ०, १,१२२ सिविलियन स्टाफ तृतीय श्रेणी तथा १,५०७ सिविलियन स्टाफ चतुर्थ श्रेणी हैं।

एन० सी० सी० के ११९ प्रशिक्षण शिविर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किये गये। इनमें १,१०१ एन० सी० सी० अधिकारी तथा ४०,६६२ पुरुष और ४,९७१ महिला छात्र सैनिकों ने भाग लिया।

अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये लखनऊ और देहरादून में एक-एक इकाई हैं। लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में एक-एक प्री-सेलेक्शन ट्रेनिंग सेन्टर हैं।

७—९. प्रदेशीय शिक्षा दल

प्रदेशीय शिक्षा दल, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का संगठन है जिसके द्वारा जिला केन्द्रों पर तथा कहीं-कहीं तहसील हेडक्वार्टरों पर ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के छात्रों को सैनिक शिक्षा और समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा भी इस योजना का अभिन्न अंग है।

प्रदेशीय शिक्षा दल के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई रेजीमेंट भी है। यह योजना अभी केवल कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ तथा झांसी में चल रही है।

मई/जून १९७० में एक मास का शिविर ५०० कैडटों, १०० अध्यापक कमांडरों हेतु पोलो ग्राउन्ड, मंसूरी में आयोजित किया गया।

रानी लक्ष्मीबाई रेजीमेंट की ५० छात्राओं का प्रथम बार वाराणसी में एक सप्ताह का प्रथम शिविर नवम्बर, १९७० में आयोजित किया गया।

फरवरी, १९७१ में युवक समारोह का आयोजन किया गया।

प्रदेशीय शिक्षा दल की योजना इस समय प्रदेश के ३१७ कालेजों में चल रही है। कैडटों की संख्या ८४,००० है।

७—१०. राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान का अखिल भारतीय सेमिनार इस वर्ष जुलाई, १९७० में पटियाला में सम्पन्न हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के लिये १९७०–७१ का लक्ष्य १,५०,००० निश्चित किया गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में ५२५ केन्द्र खोले गये हैं तथा १० स्थायी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर लगभग ३०० प्रतियोगियों के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले तथा तहसील के प्रधान निवास पर एक-एक केन्द्र केवल तीन स्टार का परीक्षण लेने के लिये निश्चित किया गया है।

इस अभियान को संचालित करने के लिये प्रत्येक जिला में एक राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान समिति गठित की गयी है। इसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक हैं।

७–११. आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय, लखनऊ तथा पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद

आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय, लखनऊ तथा पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश के छात्रों, विद्वानों तथा शोधकारों को विशेष सुविधा मिल रही है। अतः शिक्षा विभाग से इन पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

७—१२. शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण

उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण हेतु दो उपशिक्षा निदेशक पुरुष शाखा के पदों का उच्चीकरण करके उनको संयुक्त शिक्षा निदेशक का पद दिया गया। एक संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) का पद भी सृजित किया गया।

७—१३. पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा का संचालन

वर्ष १९७०-७१ से पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा संचालित की गई। विज्ञान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उ०प्र० पुस्तकालय संघ द्वारा संचालित मान्यता-प्राप्त केन्द्रों पर पुस्तकालय विज्ञान में ४ मास का प्रशिक्षण दिया जायेगा और रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें,उ०प्र० द्वारा परीक्षा संचालित की जायेगी। इससे बड़े पुस्तकालयों तथा छोटे पुस्तकालयों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे और सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार होने की संभावना है।

सारणी–१

शिक्षा के लिए निर्दिष्ट बजट

वर्ष	बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	शिक्षा के लिये सम्पूर्ण बजट
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१९४५–४६	२,२१,८९,६००	३५,५६,४००	२,५७,४६,०००
१९५०–५१	६,६१,१४,८००	७६,२९,४००	७,३७,४४,२००
१९५५–५६	९,३०,६३,३००	८९,५३,२००	१०,२०,१६,५००
१९६०–६१ शिक्षा	१२,१७,३३,०००	१,१८,२३,२००	१३,३५,५६,२००
१९६०–६१ शिक्षा नियोजन	..	..	३,८७,४१,०००
१९६५–६६ शिक्षा	२४,३६,६०,५००	२,५३,७६,२००	२६,९०,३६,७००
१९६५–६६ शिक्षा नियोजन	१४,४२,२१,२००	२,१३,४६,०००	१६,५५,६७,२००
१९६८–६९ शिक्षा	४६,३०,९२,२००	५,३५,९३,१००	५१,६६,८५,३००
१९६८–६९ शिक्षा नियोजन	६,३१,६७,१००	३८,५६,६००	६,७०,२३,७००
१९६९–७० शिक्षा	६६,२७,८९,९००	६,५४,३६,३००	७२,८२,२६,२००
१९६९–७० शिक्षा नियोजन	६,०६,३०,०००	५०,४९,९००	६,५६,७९,९००
१९७०–७१ शिक्षा	६१,५०,०१,०००	६,३८,६०,०००	६७,८८,६१,०००
१९७०–७१ शिक्षा नियोजन	६,४१,९५,८००	६२,२३,४००	७,०४,१९,२००

टिप्पणी:—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिये बजट में भी बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय सम्मिलित है।

सारणी–२

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिए बजट

	१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१
शिक्षा—								
१—प्रारम्भिक	९०,७८,२००	३,३२,१८,२००	४,२४,७३,६००	५,६९,२७,०००	१०,३०,०६,४००	२२,२४,०५,५००	३५,६६,७६,१००	३१,६७,१३,७००
२—माध्यमिक	८२,०६,७००	१,६५,९५,०००	२,३५,४६,४००	३,३६,१०,२००	६,५३,६७,८००	१४,३८,३०,१००	१८,७९,८७,०००	१८,२४,३७,५००
३—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	३०,१७,३००	४७,७७,१००	८९,४७,७००	१,१३,६२,०००	१,९१,०७,१००	५,००,९४,०००	५,५९,८३,४००	४,६६,३६,३००
४—ट्रेनिंग	..	५,९९,४००	९,१४,९००	९,८३,४००	१३,९६,९००	२६,१२,२००	३३,२४,०००	२९,९४,३००
५—अन्य	५४,४३,८००	१,८५,५४,५००	२,६१,३३,९००	३,०६,७३,६००	८,०१,५८,५००	९,७७,४३,५००	१२,४२,५५,७००	१३,००,७९,२००
योग ..	२,५७,४६,०००	७,३७,४४,२००	१०,२०,१६,५००	१३,३५,५६,२००	२६,९०,३६,७००	५१,६६,८५,३००	७२,८२,२६,२००	६७,८८,६१,०००
शिक्षा नियोजन—								
१—प्रारम्भिक	..	..	..	२,५४,७६,९००	६,७५,४७,२००	२,६३,९६,१००	३,३६,४४,८००	३,४७,१२,९००
२—माध्यमिक	..	..	..	६३,६७,०००	३,२०,९५,९००	१,०८,००,३००	८४,११,९००	८२,९७,८००
३—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	..	..	..	४१,१७,०००	१,४७,५१,२००	८१,८८,०००	७४,५०,०००	६८,३७,८००
४—ट्रेनिंग	..	..	..	१३,०६,०००	७५,२१,२००	७,१७,६००	३,०१,२००	४,२६,९००
५—अन्य	..	..	..	१४,७४,१००	४,३६,५१,७००	२,०९,२१,७००	१,५८,७२,०००	२,०१,६३,८८८
योग ..	..	..	..	३,८७,४१,०००	१६,५५,६७,२००	६,७०,२३,७००	६,५६,७९,९००	७,०४,१९,२००

सारणी—३

व्यय के स्रोत

वर्ष तथा स्रोत	१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६ (च)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
राजकीय निधि से ..	२,७०,०३,६६७	७,३९,१८,७७३	१२,३१,३९,९५९	२३,४४,४०,५४७	४६,८२,८८,६७८—
स्थानीय निकाय निधि से	७१,०६,९७२	१,८५,३६,५६९	२,१०,७४,८२६	२,७६,४१,५१६	४,२४,१९,८५४—
विश्वविद्यालय निधि से ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	१,०८,३४,३८७—
शुल्क से ..	१,६०,३७,४१८	३,९९,८०,१०४	७,२४,००,४४०	९,१२,९४,१३३	१४,३०,३८,१३३—
प्राभूत एवं अन्य निधि से	१,००,०७,१८०	३,०८,४२,४५५	३,७०,६८,८२३	४,३६,२७,३१३	५,७०,२८,६८९—
योग ..	६,०१,५५,२३७	१६,३२,७७,९०१	२५,३६,८४,०४८	३९,७०,०३,५०९	७२,१६,०९,७४१

(च) वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी–४

सब प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थायें

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
राजकीय ..	बालक	१३९२	२,१५६	१,१९५ (द)	१,६४५	२,०८६	२,२७९	१,१६२ (म)
	बालिका	१२०	२५८	३०७	३०९	५९८	६८८	३९६ (म)
स्थानीय निकाय ..	बालक	१४,१५३	२७,९८६	२८,८५७	३४,५१२	४७,९६४	४८,९४८	५०,४६०
	बालिका	१२८०	२,४५१	२,७३७	४,९७७	११,०२३	११,६९८	१२.३६८
विश्वविद्यालय ..	बालक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	११ (न)	१३ (न)	१३ (न)
	बालिका	,,	,,	,,	,,	,,		
सहायता प्राप्त ..	बालक	५२५०	३,५८०	३,३८०	४,०२४	५,०७८	६,२६५	६,५९९
	बालिका	७०६	५२९	५२०	६१२	८०८	१,१५०	१,२०३
सहायता रहित ..	बालक	४८२	१,८५८	१९४५	२२०२	३,०५०	३,०२५	२,९२९
	बालिका	२३	४६	६९	१६४	२५४	२९१	१६०
योग ..	बालक	२१,२७७	३५,५८०	३५,३७७	४२,३८३	५८,१८९	६०,५३०	६१,१६३
	बालिका	२,०२९	३,२८४	३,६३३	६,०६२	१२,६८३	१३,८२७	१४,१२७

(द) राजकीय विद्यालयों की संख्या में कमी का कारण यह है कि विलीन बनारस स्टेट के कुछ विद्यालय (जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल) स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित हो गए हैं ।

(म) राजकीय विद्यालयों की संख्या में कमी का कारण यह है कि पर्वतीय मण्डल में स्थित विलीन स्टेट के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित हो गए ह ।

(न) इनमें २ विश्वविद्यालय मानी गई संस्थायें सम्मिलित हैं ।

*आंकड़े प्राविजनल हैं ।

सारणी–५

विभिन्न प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थायें (प्रथम तीन स्तर)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–(लड़के)	सब	३५६	८३३	१,२५३	१,४८९	२,०५०	२,४३९	२,६०२
	ग्रामीण क्षेत्रों में	४३	३०४	५९०	७४३	१,१८५	१,१२७	१,२९०
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–(लड़कियाँ)	सब	८६	१५४	२२१	२८२	४५१	५२४	५४७
	ग्रामीण क्षेत्रों में	..	१	२	६	२७	३९	६२
योग	सब ..	४४२	९८७	१,४७४	१,७७१	२,५०१	२,९६३	३,१४९
	ग्रामीण क्षेत्रों में	४३	३०५	५९२	७४९	१,२१२	१,१६६	१,३५२
सीनियर बेसिक स्कूल–(लड़के)	सब ..	१,२०२	२,३८६	३,१२८	३,६७४	४,९४५	५,९०१	६,४१५
	ग्रामीण क्षेत्रों में	७३४	१,८५४	२,६६१	३,०२५	४,२४२	४,८९२	५,३१०
सीनियर बेसिक स्कूल–(लड़कियाँ)	सब ..	४७४	४६८	५१२	६६१	१,२०९	१,४७७	१,६७४
	ग्रामीण क्षेत्रों में	६४	१३०	१९५	२४७	७०८	८२९	१,०१७
योग	सब ..	१,६७६	२,८५४	३,६४०	४,३३५	६,१५४	७,३७८	८,०८९
	ग्रामीण क्षेत्रों में	७९८	१,९८४	२,८५६	३,२७२	४,९५०	५,७२१	६,३२७

शेष अगले पृष्ठ पर

सारणी–५ (समाप्त)

१	२	१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
		३	४	५	६	७	८	९
जूनियर बेसिक स्कूल–(लड़के)	सब ..	१७,५४५	२९,४५९	२९,२०२	३५,१५६	४९,४४३	४९,९७८	५०,३५८
	ग्रामीण क्षेत्रों में	१५,१६७	२२,१०६	२६,५०३	३१,६५६	४५,३६०	४५,८६७	४६,२२६
जूनियर बेसिक स्कूल–(लड़कियाँ)	सब ..	१,४७२	२,५२०	२,६९६	४,९२७	१०,८००	११,११७	११,३९१
	ग्रामीण क्षेत्रों में	९०४	१,६०४	१,८९७	३,६४६	८,८९५	९,०६३	९,२३९
योग	सब ..	१९,०१७	३१,९७९	३१,८९८	४०,०८३	६०,२४३	६१,०९५	६१,७४९
	ग्रामीण क्षेत्रों में	१६,०७१	२३,७१०	२८,४००	३५,३०२	५४,२५५	५४,९३०	५५,४६५

* आंकड़े प्रावीजनल हैं।

सारणी–६

विभिन्न प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाएं (अंतिम दो स्तर)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
विश्वविद्यालय ..	लड़के ..	५	६	६	९	९	११	११
	लड़कियाँ ..	—	—	—	—	—	—	—
	योग ..	५	[illegible]	६	९	९	११	११
डिग्री कालेज ..	लड़के ..	१०	३४	५७	१०८	१४७	१७०	१८४
	लड़कियाँ ..	२	६	८	२०	३६	४७	५२
	योग ..	१२	४०	६५	१२८	१८३	२१७	२३६

*आंकड़े प्रावीजनल हैं।

सारणी–७

छात्रों की संख्या (प्रथम तीन स्तर)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	लड़के	१,५६,१३३ (द)	३,५६,५३०	५,५६,५३०	७,५७,५९२	१२,७१,०३८	१५,०३,९८२	१६,३८,७५५
	लड़कियाँ	२३,३१५ (द)	५७,८२५	८७,५९९	१,५४,४८५	२,८७,८६२	३,५१,९८५	४,०७,४७७
	योग ..	१,७९,४४८ (द)	४,१७,४०५	६,४४,१२९	९,१२,०७७	१५,५८,९००	१८,५५,९६७	२०,४६,२३२
सीनियर बेसिक स्कूल ..	लड़के	१,५०,५८३	२,७८,३३९	३,५५,२६६	४,४६,१३९	७,८८,९०५	८,६७,८२०	९,५२,१८२
	लड़कियाँ	८१,४९८	६९,७९८	७१,७५९	१,०३,६८८	१,९४,९४५	२,४६,८५६	३,०९,९९८
	योग ..	२,३२,०८१	३,४८,१३७	४,२७,०२५	५,४९,८२७	९,८३,८५०	११,१४,६७६	१२,६२,१८०
जूनियर बेसिक स्कूल ..	लड़के	११,९५,६३६	२३,९२,१७५	२२,५३,२३१	३१,७०,८६८	५७,६४,८५७	६२,४१,९०८	६३,५३,८१६
	लड़कियां	१,७५,०५८	३,३४,९४८	४,८४,५९६	७,८७,९६०	३०,२३,२४८	३४,८१,००७	३५,६९,५२३
	योग ..	१३,७०,६९४	२७,२७,१२३	२७,३७,८२७	३९,५८,८२८	८७,८८,१०५	९७,२२,९१५	९९,२३,३३९

(द) इण्टर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

*आंकड़े प्रावीजनल हैं।

सारणी–८

छात्रों की संख्या (अन्तिम दो स्तर)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
विश्वविद्यालय ..	लड़के	९,७३० (अ)	१९,१०५	२४,६१६	२९,७८५	३७.६२८	३५,१४७	३९,५०६
	लड़कियाँ	६०५ (अ)	१,६७१	२,८०२	४,०३३	८,२०८	६,०९३	८,४१२
	योग ..	१०,३३५ (अ)	२०,७७६	२७,४१८	३३,८१८	४५,८३६	४१,२४०	४७,९१८
डिग्री कालेज ..	लड़के	१६,८४३ (द)	२७,२९४	४५,७२५	५८,९५९	७४,२९५	७६,०९८	७९,२६८
	लड़कियाँ	१,५८५ (द)	२,५०४	४,८७४	८,७४३	२०,२६३	२३,४३१	२५,५९९
	योग ..	१८,४२८ (द)	२९,७९८	५०,५९९	६७,७०२	९४,५५८	९९,५२९	१,०४,८६७

(अ) यह केवल विज्ञान और कला के विद्यार्थियों की संख्या है ।

(द) इन संख्यायों में समस्त इण्टर कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हैं ।

*आंकड़े प्रावीजनल हैं ।

सारणी—९

अध्यापकों की संख्या

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७	८	९
विश्वविद्यालयों में ..	पुरुष	८३९	१,२०१	१,३३१	२,०८९	२,७९७	२,८२६	२,८५९
	महिला	५६	७१	११४	१५९	२३४	२४७	२६७
	योग ..	८९५	१,२७२	१,४४५	२,२४८	३,०३१	३,०७३	३,१२६
डिग्री कालेजों में ..	पुरुष	४११	१,१७५	२,१५५	३,११३	४,६४०	५,१९७	५,३३९
	महिला	३७	७४	१७२	३३१	७९३	१,०८३	१,१०१
	योग ..	४४८	१,२४९	२,३२७	३,४४४	५,४३३	६,२८०	६,४५०
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	पुरुष	७,३९८	१५,४५३	२४,५४१	३०,२२२	४५,७१७	५४,३८५	५९,८६८
	महिला	१,४१७	२,७७४	४.१३०	५,८५४	१०,६९७	१२,२०९	१४,०६१
	योग ..	८,८१५	१८,२२७	२८,६७१	३६,०७६	५६,४१४	६६,५९४	७३,९२९
सीनियर बेसिक स्कूलों में	पुरुष	६,४३५	११,६०५	१६,७३४	१९,०५७	२८,८६५	३५,४६२	३९,२७४
	महिला	३,४२६	२,९००	३,२६२	४,२०२	७,००२	९,०१९	९,८४३
	योग ..	९,८६१	१४,५०५	१९,९९६	२३,२५९	३५,८६७	४४,४८१	४९,११७
जूनियर बेसिक स्कूलों में	पुरुष	३८,३७६	६५,११०	७०,६४१	८७,३४०	१,४४,६५९	१,५९,८५४	१,६८,०६८
	महिला	१,६१०	५,१८९	६,९३४	११,७१४	२३,९१८	३१,१२५	३२,१६९
	योग ..	४०,९८६	७०,२९९	७७,५७५	९९,०५४	१,६८,५७७	१,९०,९७९	२,००,२३७

*आंकड़े प्रावीजनल हैं।

ग

सारणी–१०

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

	१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१
१	२	३	४	५	६	७	८	९
हाई स्कूल परीक्षा—								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें	३१५	७४९	१,१७५	१,४०४	१,८३७	२,३७२	२,४५७	२,६२५
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	५६	१३०	१९७	२५७	३५४	४८८	५१०	५३९
योग ..	३७१	८७९	१,३७२	१,६६१	२,१९१	२,८६०	२,९६७	३,१६४
इण्टरमीडिएट परीक्षा--								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें..	११३	३३४	६५२	७८६	१,००२	१,२७५	१,३२२	१,४६०
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	१५	४१	१११	१४८	२१४	२७६	२८४	३०३
योग ..	१२८	३७५	७६३	९३४	१,२१६	१,५५१	१,६०६	१,७६३

सारणी–११ (अ)

हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

		१९४६	१९५१	१९५६	१९६१	१९६६	१९६८	१९६९	१९७०
१		२	३	४	५	६	७	८	९
हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	१,६७,५४९	२,१५,२५२	३,१४,५७८	३,५९,०२२	४,०५,८५६	४,५२,१३७
	लड़कियाँ	,,	,,	१६,४८८	२२,६२०	४१,८२६	६०,८०९	६८,१७०	७५,३९२
	योग ..	२७,२७२	१,१०,६८१	१,८४,०३७	२,३७,८७२	३,५६,४०४	४,१९,८३१	४,७४,०२६	५,२७,५२९
परीक्षा में सम्मि-लित होने वालों का संख्या ..	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	१,५५,२८५	२,०४,३१५	२,९५,०३६	३,४३,८७९	३,८५,२९४	४,३०,६८४
	लड़कियाँ	,,	,,	१४,३०१	२१,५२६	३८,६०५	५७,००७	६५,०७९	७१,८७३
	योग ..	२५,१५३	९८,५३४	१,६९,५८६	२,२५,८४१	३,३३,६४१	४,००,८८६	४,५०,३७३	५,०२,५५७
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ..	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	६८,५८९	८९,८८०	१,३०,२७७	१,५२,६७८	१,६९,४१०	१,७७,९०१
	लड़कियाँ	,,	,,	८,५२८	१३,८६०	२५,१८७	३७,५०१	४३,८९२	४८,३८५
	योग ..	१५,८२०	५८,२३४	७७,११७	१,०३,७४०	१,५५,४६४	१,९०,१७९	२,१३,३०२	२,२६,२८६

सारणी–११ (ब)

इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

		१९४६	१९५१	१९५६	१९६१	१९६६	१९६८	१९६९	१९७०
१		२	३	४	५	६	७	८	९
इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत संख्या	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	७८,४५७	९९,६००	१,४८,७८५	१,९२,१५७	२,२७,४७४	२,३१,५६४
	लड़कियाँ	,,	,,	९,३४४	१३,७४५	२७,९१२	३७,०९०	४२,३९२	४५,०२२
	योग ..	१२,२३०	४१,००९	८७,८०१	१,१३,३४५	१,७६,६९७	२,२९,२४७	२,६९,८६६	२,७६,५८६
परीक्षा में सम्मि-लित होने वालों की संख्या ..	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	६९,८५८	८९,५४२	१,२९,२६९	१,७२,६२८	२,०६,८५४	२,०७,७८०
	लड़कियाँ	,,	,,	८,२१९	१२,२८२	२४,१५१	३२,९९५	३८,८१२	४०,५८६
	योग ..	१०,४५८	३४,४६४	७८,०७७	१,०१,८२४	१,५३,४२०	२,०५,६२३	२,४५,६६६	२,४८,३६६
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ..	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	३६,३७६	३५,६४५	५४,३८१	९५,१८७	१,०१,७८१	९२,८०९
	लड़कियाँ	,,	,,	५,०५८	६,५५७	१३,२९९	२४,३२१	२५,९६९	२३,८५०
	योग ..	६,८०४	२०,५२३	४१,४३४	४२,२०२	६७,६८०	१,१९,५०८	१,२७,७५०	१,१६,६५९

सारणी—१२

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७
स्वीकृत पाठशालायें ..	१,४००	१,०१४	१,०५०	८००	९००	९००
छात्र संख्या ..	३४,०९३	३९,९०१	४२,०९२	४३,६००	४८,८०५	४८,६००
सहायता प्राप्त पाठशालायें ..	३३२	४१८	६३७	७७९	७७९	८०३
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में)	२,५३,५१२	४,६४,४४८	९,६२, ९५३	२२,१४,०२०	२८,२०,२७३	३९,३०,५४४

*आंकड़े प्रावीजनल हैं ।

सारणी–१३

अरबी मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१	२	३	४	५	६	७
स्वीकृत मदरसे ..	८६	८९	१०४	१२४	१२५	१४६
छात्र संख्या ..	..	१४,१९०	१६,७१०	२६,२१५	२६,६७२	२९,३८२
सहायता प्राप्त मदरसे ..	८६	८९	१०४	१२४	१२५	१२३
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में)	९०,६७२	१,०२,३९४	१,२४,१६४	२,५६,४५४	२,४४,८४०	२,९४,६०३

* आंकड़े प्रावीजनल हैं।

सारणी–१४

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध कक्षाएं (छात्र संख्या)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१		२	३	४	५	६	७	८
ट्रेनिंग (एल०टी० स्तर) (१ वर्ष)	पुरुष	३	४	६	७	६	७	६
	महिला	१	५	२	३	४	४	४
	योग ..	४	९(ग)	८	१०	१०	११	१०
विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग बी०एड० तथा एम०एड० पुरुष तथा महिला सम्मिलित ..		—	—	३	५	५	५	५
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें एल० टी० स्तर ..	पुरुष	—	८	१०	२८	३६	४१	४१
	महिला	—	१	२	२	६	६	६
	योग ..	—	९	१२	३०	४२	४७	४७
जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा अन्य सी०टी० स्तर की प्रशिक्षण संस्थायें	पुरुष	३	—	५	५	५	७	६
	महिला	७	—	७	६	८	११	९
	योग	१०	—	१२	११	१३	१८	१५

सारणी—१४ (समाप्त)

१		२	३	४	५	६	७	८
जे० टी० सी० कालेज (२ वर्ष)	पुरुष	—	१०६	३३	३३	४२	**	—
	महिला	—	२४	१	४	११	**	—
	योग ..	—	१३३ (च)	३४	३७	५३	**	—
नार्मल स्कूल (२ वर्ष) ..	पुरुष	४४ (घ)	--	४५	९५	१२१	**	—
	महिला	२६ (य)	—	१६	२२	४२	**	—
	योग ..	७०	—	६१	११७	१६३	**	—
बी० टी० सी० (१ वर्ष) ..	पुरुष	—	—	—	—	—	२३०	१९१
	महिला	—	—	—	—	—	८९	६९
	योग ..	—	—	—	—	—	३१९	२६०

(ब) इस संख्या में ११ सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल और २१ ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिनमें १ वर्ष का कोर्स था ।
(य) इस संख्या में ६ ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिनमें १ वर्ष का कोर्स था ।
(च) इनमें नार्मल स्कूल भी सम्मिलित है ।
(ग) इनमें पी० टी० ट्रेनिंग कालेज सम्मिलित है ।
(**) ये संस्थायें अब बी० टी० सी० में परिवर्तित हो गयी हैं ।
(*) आंकड़े प्रावीजनल हैं ।

सारणी–१५

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०*
१		२	३	४	५	६	७	८
ट्रेनिंग कालेज (एल० टी० स्तर)	पुरुष	२०२	२२६	४१५	५००	५४०	५९४	१,०१८
	महिला	५७	३३७	३११	५२०	६२१	७६३	४५७
	योग ..	२५९	५६३ (ल)	७२६	१,०२०	१,१६१	१,३५७	१,४७५
विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग (बी० एड० तथा एम० एड०)								
	पुरुष	—	३१२	२५७	३५६	२७२	४४२	४४२
	महिला	—	१०७	१२७	१४४	३५४	२७९	३९९
	योग ..	—	४१९	३८४	५००	६२६	७२१	८४१
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (एल० टी० स्तर)								
	पुरुष	—	५२०	९५६	२,४१३	२,७९७	२,८३७	२,८३७
	महिला	—	६६	२८९	५०९	१,११०	१,३१०	१,५०२
	योग ..	—	५८६	१,२४५	२,९२२	३,९०७	४,१४७	४,३३९

शेष अगले पृष्ठ पर

सारणी—१५ (समाप्त)

१		२	३	४	५	६	७	८
जे० बी० टी० सी० कालेज आदि (दो वर्ष सी० टी० स्तर)	पुरुष	२१०	—	३१५	५६७	३६१	२६६	३५६
	महिला	१४८	—	२५२	२५४	३४४	५३७	५८४
	योग	३५८	—	५६७	८५१	७०५	८३६	६४०
जे० टी० सी० कालेज (दो वर्ष)	पुरुष	—	१५,१६६	१,३६१	२,३५०	३,२२३	—	—
	महिला	—	६३६	१०६	३४१	७८७	—	—
	योग	--	१५,८०५ (ज)	१,४६७	२,६६१	४,०१०	..	--
नार्मल स्कूल (दो वर्ष)	पुरुष	१,४१०	—	३,७७३	६,५६६	१६,२०५	—	..
	महिला	६३६	—	५६७	१,३११	४,२१०	—	—
	योग	२,०४६ (य)		४,३४०	१०,८८०	२०,४१५	—	—
बी० टी० सी० (एक वर्ष) ..	पुरुष	--	--	--	..	—	१७,६४६	१४,२६२
	महिला	—	—	--	..	--	६,५८६	४,४२२
	योग	—	—	—	—	—	२४,५३५	१८,७१४

(ज) इनमें नार्मल स्कूल के छात्र भी सम्मिलित हैं ।
(ल) इनमें सी० टी० के छात्र भी सम्मिलित हैं ।
(य) इस संख्या में ५५२ लड़के तथा १७१ लड़कियाँ बी० टी० सी० कोस की सम्मिलित ह ।
*आंकड़े प्रावीजनल हैं ।
इस सख्या में जे० टी० सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है ।
इस संख्या में एच० टी० सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है ।

सारणी—१६

प्रशिक्षण संस्थाय एवं सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षाएं उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की संख्या

		१९४५–४६	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१	१९६५–६६	१९६८–६९*	१९६९–७०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
एल० टी०, बी० टी० तथा बी० एड० (१ वर्ष)	पुरुष	२४९	८८०	१,३८६	३,०३२	३,२२२	९२१(क)	८२९(क)
	महिला	७५	२०८	५११	९७७	१,७३५	२९५(क)	३९२(क)
	योग	३२४	१,०८८	१,८९७	४,००९	४,९५७	१,२१६(क)	१,२२१(क)
एम० एड० (१ वर्ष)	पुरुष	३	५८	३६	७४	९२	(–)	(–)
	महिला	१	२५	४२	४२	६६	(–)	(–)
	योग	४	८३	७८	११६	१५८	(–)	(–)
जे० बी० टी० सी० (२ वर्ष) (सी० टी० स्तर)	पुरुष	९९	३२	१६७	११०	९४	२७८	१३९
	महिला	६९	१५५	२५३	११६	२१७	३३१	२५२
	योग	१६८	१८७	४२०	२२६	३११	६०९	३९१

शेष अगले पृष्ठ पर

सारणी–१६ (समाप्त)

१		२	३	४	५	६	७	८
जे० टी० सी० (२ वर्ष) ..	पुरुष	—	६६४	६४६	६६६	१,५६२	५४	१२
	महिला	—	३	६८	१४७	२६४	२१	७
	योग	—	६६७	१,०१७	१,१४६	१,८८६	७५	१६
एच० टी० सी० (दो वर्ष) तथा बी०टी० सी० (एक वर्ष) ..	पुरुष	१,१०२	१०,५७६	१,७५१	४,१७३	६,१२६	१६,७१७	१७,६६६
	महिला	३४६	६३६	२६४	५४७	१,५५३	३,५७०	४,४६४
	योग	१,४५१ (य)	११,२१२ (र)	२,०४५	४,७२०	७,६८२	२०,२८७	२२,१६०

(क) केवल एल० टी० परीक्षाफल है ।
(–) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
* आंकड़ प्रावीजनल हैं ।
(य) इस संख्या में ६०६ लड़के और लड़कियाँ भी बी० टी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण सम्मिलित हैं ।
(र) सचल विद्यालय के छात्राध्यापक भी सम्मिलित हैं । यह योजना बाद में बन्द हो गयी ।

सारणी—१७

३१ मार्च, १९७० को जिलेवार विद्यालयों की संख्या (प्रथम तीन स्तर)

क्रम-संख्या	जिलों का नाम	हाई/हायर सेकण्ड्री			सीनियर बेसिक			जूनियर बेसिक		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
*१	देहरादून	२६	१४	४०	५७	२३	८०	४३९	१०२	५४१
२	सहारनपुर	७०	२२	९२	११५	७	१२२	१०६५	३५३	१४१८
३	मुजफ्फरनगर	६६	१६	८२	८३	४४	१२७	८५२	२९९	११५१
४	बुलन्दशहर	११६	१७	१३३	९२	१५	१०७	९९३	२८५	१२७८
*५	मेरठ	१५१	३८	१८९	१८४	७६	२६०	१५१०	४७२	१९८२
६	अलीगढ़	८२	१६	९८	२००	२३	२२३	११२६	३००	१४२६
*७	मथुरा	५४	१०	६४	११४	१९	१३३	८१८	२२१	१०३९
*८	आगरा	६७	२३	९०	२२६	७८	३०४	१०२६	२३०	१२५६
९	मैनपुरी	३७	५	४२	१४८	१९	१६७	९४१	१५५	१०९६
*१०	एटा	५०	६	५६	११६	१२	१२८	७८२	१८२	९६४
११	बरेली	५३	२०	७३	१२९	४१	१७०	९१४	२७६	११८१
१२	बिजनौर	४६	९	५५	९०	१९	१०९	७९८	३१४	१०१२
१३	बदायूं	२८	१०	३८	९३	४५	१३८	८५०	२५२	११०२
१४	शाहजहाँपुर	२५	१०	३५	८९	३७	१२६	९५०	२०४	११५४
१५	मुरादाबाद	६०	२१	८१	१२५	७०	१९५	१३९५	२९३	१६८८
१६	रामपुर	१६	६	२२	३७	७	४४	४७३	११६	५८९
१७	पीलीभीत	१२	३	१५	५०	१४	६४	४६०	१२९	५८९
१८	फर्रुखाबाद	५१	१३	६४	१७३	३०	२०३	८०१	१९६	९९७

शेष अगले पृष्ठ पर

सारणी–१७

१ २	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९—इटावा	५५	६	६१	१५६	४९	२०५	८०१	१६८	९६९
*२०—कानपुर	७४	२८	१०२	१७८	९८	२७६	१४०८	४०८	१८१९
*२१—फतहपुर	३४	३	३७	९८	३१	१२९	६२७	१६१	७८८
२२—इलाहाबाद	१०६	२८	१३४	१५८	५१	२०९	१४१६	३५६	१७७२
२३—बान्दा	२६	४	३०	१३९	३६	१७५	८७९	२०६	१०८५
२४—हमीरपुर	१८	३	२१	९०	१५	१०५	७७०	२११	९८१
२५—झांसी	३६	१२	४८	१५४	३२	१८६	१०५२	१७९	१२३१
२६—जालौन	३४	६	४०	९१	२४	११५	६७५	१४८	८२३
*२७—वाराणसी	९७	२७	१२४	१७९	८४	२६३	१३१२	२८१	१५९३
२८—मिर्जापुर	३९	५	४४	११२	१८	१३०	१०११	१७९	११९०
२९—जौनपुर	७६	५	८१	१८२	२३	२०५	९९४	२०४	११९८
३०—गाजीपुर	५७	४	६१	११८	२७	१४५	७२८	१९३	९२१
*३१—बलिया	६७	४	७१	१४९	२४	१७३	९८१	२२५	१२०६
*३२—लखनऊ	५०	३४	८४	७६	२७	१०३	७९५	३१५	१११०
३३—उन्नाव	३०	३	३३	१३१	३७	१६८	९५०	१४२	१०९२
३४—रायबरेली	२३	१	२४	८९	३०	११९	७०२	१५२	८५४
३५—सीतापुर	२२	५	२७	१६८	१५	१८३	९४४	२१५	११५९
*३६—हरदोई	१८	४	२२	११७	४३	१६०	१०५८	१८५	१२४३
३७—खीरी	२२	५	२७	६५	१४	७९	९७३	१५७	११३०
३८—प्रतापगढ़	३९	१	४०	८९	१६	१०५	७२१	१५९	८८०
३९—सुल्तानपुर	३१	१	३२	१२१	४४	१६५	११४३	२५५	१३९८

शेष अगले पृष्ठ पर

सारणी–१७ (समाप्त)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
*४०—बाराबंकी	.. .. ..	१९	१	२०	१०६	३७	१४३	१०५१	२५९	१३१०
४१—गोरखपुर	.. .. ..	८५	१६	१०१	१७२	७८	२५०	१४४३	२९२	१७३५
४२—देवरिया	.. .. ..	९३	७	१००	२००	३२	२३२	१४३४	२३८	१६७२
४३—बस्ती	.. .. ..	५८	४	६२	२११	३१	२४२	१५५७	२६१	१८१८
४४—आजमगढ़	.. .. ..	८३	६	८९	१७९	३२	२११	१२३८	२५५	१४९३
४५—गोंडा	.. .. ..	३६	६	४२	८७	१५	१०२	१४३५	२७०	१७०५
४६—बहराइच	.. .. ..	२२	४	२६	७९	३९	११८	९११	२४१	११५२
४७—फैजाबाद	.. .. ..	४५	८	५३	११०	११	१२१	१०६३	२४१	१३०४
४८—नैनीताल	.. .. ..	२८	१०	३८	८४	१९	१०३	६९२	९७	७८९
४९—अल्मोड़ा	.. .. ..	४५	५	५०	१११	९	१२०	९३२	१००	१०३२
५०—पौड़ी गढ़वाल	.. .. ..	५०	४	५४	८६	१८	१०४	७९६	१३०	९२६
५१—टिहरी गढ़वाल	.. .. ..	८		१०	७७	२२	९९	५११	११९	६३०
५२—पिथौरागढ़	.. .. ..	१७	४	२१	६३	६	६९	४०६	६५	४७१
*५३—चमोली	.. .. ..	१९	२	२१	४६	५	५१	४८०	३८	५१८
*५४—उत्तरकाशी	.. .. ..	८	१	९	२१	२	२३	२७०	१६	२८६
	कुल योग ..	२५८०	५२८	३१०८	६४१३	१६७३	८०८६	५०३५२	११३९१	६१७४३

नोट :--(१) तारांकित जिलों के आंकड़े १९६८–६९ के हैं।
(२) आंकड़े अस्थायी ह।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग २

(प्राविधिक शिक्षा)

१९७०-७१

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
कानपुर।

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का विकास १९७०–७१

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर

राज्य में प्राविधिक शिक्षा का विकास भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुसार होता चला आ रहा है। प्राविधिक व्यक्तियों के विषमाभाव की पूर्ति हेतु सामूहिक एवं निजी क्षेत्र में उपर्युक्त अर्हताओं वाले एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति-निमित्त वर्तमान संस्थानों का विस्तार एवं पुनर्गठन अपेक्षित समझा गया। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नई संस्थायें खोली गईं तथा वर्तमान संस्थाओं का विकास तथा पुर्नसंगठन किया गया है जिसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना तक वर्तमान संस्थाओं के प्रवेश स्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान सुविधाओं को समवेत रूप से संगठित किये जाने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्ष १९६९–७० तक की प्रगति की समीक्षा

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन योजनाओं को जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण न हो सकी थीं, पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त नये इंजीनियरिंग कालेजों तथा बहुधंधी संस्थानों की स्थापना हुई तथा चालू संस्थाओं की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया था।

डिग्री पाठ्यक्रम

तृतीय पंचवर्षीय योजना में २ नये इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना गोरखपुर एवं इलाहाबाद में हुई। इसके अतिरिक्त रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा एच० बी० टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में डिग्री स्तर पर नये पाठ्यक्रम चालू किये गये। वर्ष १९६६–६७ में एक नये इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना पन्तनगर में हुई तथा डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ११०५ थी, बढ़कर वर्ष १९६६–६७ में १५६५ हो गई। वर्ष १९६७–६८ में प्रवेश क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर वर्ष १९६८–६९ में प्रवेश क्षमता घटा कर ९८० कर दी गई।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ७ बहुधंधी संस्थायें बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद में जिसमें तीन संस्थायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्थापित की गई थीं। राजकीय बहुधंधी संस्था, श्रीनगर जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू करने हेतु प्रस्तावित थी, वर्ष १९६८–६९ में चालू किया जा सका। इसके अतिरिक्त बहुधंधी संस्थाओं की प्रवेश क्षमता को भी बढ़ाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक राजकीय महिला बहुधंधी संस्था की लखनऊ तथा एक लेदर इंस्टीट्यूट की आगरा में स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त ४ वर्षीय अंशकालीन पाठ्यक्रम हैवट पोलीटेकनिक, लखनऊ तथा राजकीय पोलीटेकनिक, कानपुर में चालू किया गया, जिसमें वर्ष १९६९–७० से भर्ती बन्द कर दी गई है। एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टेक्नीकल कालेज, दयालबाग आगरा में चालू किया गया।

स्वीडिश सरकार की सहायता से वर्ष १९६३–६४ में स्कूल आफ पेपर टेक्नालोजी, सहारनपुर की स्थापना हुई।

डिप्लोमा स्तर पर १९६६–६७ में ८१० अतिरिक्त प्रवेश संख्या बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त १९६७–६८ से फुटवियर में पोस्ट मैट्रिकुलेट सर्टीफिकट कोर्स जो कि राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर में चल रहा था, को पूर्ण रूप से डिप्लोमा में परिवर्तित कर दिया गया। प्रवेश क्षमता भी बढ़कर १९६९–७० के अन्त में ५,५३० हो गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६९–७० में डिप्लोमा स्तर पर निम्नलिखित डाइवरसीफाइड पाठ्यक्रम चालू किये गये:—

(१) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ।

(२) एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रीजरेशन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम एम० जी० पोलीटेकनिक, हाथरस ।

(३) इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम इलाहाबाद पोलीटेकनिक, इलाहाबाद ।

सेकेण्ड्री टेक्नीकल स्कूल्स

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ८ नये माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय बहुधंधी संस्थाओं से संबद्ध खोले गये जिसमें से प्रत्येक की प्रवेश क्षमता ६० है। इन संस्थाओं के खुलने से माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों की प्रवेश संख्या जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३०० थी, बढ़कर ७८० हो गई। यह योजना अब बन्द कर दी गई है और वर्ष १९७०–७१ से प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं हुए हैं।

आर्थिक प्रगति

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ९२६.६६७ लाख रु० के प्राविधान के विपरीत ६७९.४०० लाख रु० का व्यय हुआ था तथा वर्ष १९६६–६७ से १९६८–६९ तक ५४०.०९४ लाख रु० के प्राविधान के विपरीत ४४४.८१९ लाख रु० का व्यय आयोजनागत योजनाओं पर हुआ है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६९–७० में १७०.९३० लाख रु० के बजट प्राविधान में १५२.२१३ लाख रु० का व्यय हुआ है।

शुल्क तथा शुल्क मुक्ति

सिविल, विद्युत एवं यन्त्र अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों से प्रतिमास १५ रु० शिक्षण शुल्क लिया जाता है तथा डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रतिमास २० रु०। उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण एवं प्रौद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद में शिक्षण शुल्क प्रति वर्ष ६ रु० है। हाई स्कूल (टेक०) आयोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-छात्रों को ४ रु० प्रतिमास शुल्क देना पड़ता है। बहुधंधी एवं डिग्री संस्थानों में १५ प्रतिशत पूर्ण शुल्क छूट तथा ३० प्रतिशत अर्द्ध-शुल्क की छूट का प्राविधान है।

वृत्ति एवं छात्रवृत्तियां

सम्पूर्ण बहुधन्धी संस्थानों के मेधावी छात्रों को वृत्ति एवं छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। राज्य के बाहर प्राविधिक शिक्षा के अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों को भी वृत्तियों की सुविधायें प्रदान की जाती है।

प्राविधिक शिक्षा ऋण

प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा हेतु छात्रों को एक प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ऋण स्वीकृत करने हेतु शासन द्वारा एक आयोजना १९५०-५१ में स्वीकृत हुई थी। अक्तूबर १९६८-६९ से ब्याज की दर बढ़कर ४ प्रतिशत हो गई है। निर्धारित अवधि पर ऋण की वापसी में देर होने पर ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना अपेक्षित है। १९७०–७१ के वर्ष में प्राविधिक शिक्षा ऋण के लिये २५.०० लाख रु० का प्राविधान किया गया है। इसके विपरीत १५.०० लाख रु० के व्यय होने की आशा है। वर्ष १९७१–७२ के लिये २०.०० लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

शिक्षकों के लिये अध्यापन की सुविधायें

प्राविधिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुधन्धी संस्थाओं से १३ शिक्षक प्राविधिक शिक्षक शिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ प्रशिक्षण हेतु १९७०-७१ में भेजे गये हैं।

वर्ष १९७०-७१ की प्रगति

डिग्री स्तर

वर्ष १९७०-७१ में किसी प्रकार का विस्तार डिग्री स्तर पर नहीं हुआ है। वर्ष १९७०-७१ में डिग्री स्तर पर प्रवेश क्षमता ९८० रही, जिसमें कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ५० सीटें सम्मिलित हैं। कोई नया पाठ्यक्रम भी चालू नहीं किया गया है। चालू वर्ष में बजट के अन्तर्गत जो योजनायें पहले चल रही हैं उनको पूरा करने हेतु तथा फैकल्टी विकास, स्टाफ क्वार्टर्स के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है।

डिप्लोमा स्तर

डिप्लोमा स्तर की योजनाओं के अन्तर्गत भी उन योजनाओं, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी तथा पूरी नहीं हो सकी हैं के लिये साज-सज्जा तथा भवन निर्माण हेतु प्राविधान किया गया है। कन्वेशनल पाठ्यक्रम अर्थात् सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कोई विकास प्रस्तावित नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाठ्यक्रमों के डाइवरसीफिकेशन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष १९६९-७० में चालू किये गये पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त १९७०-७१ में निम्नलिखित डाइवरसीफाइड पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं:--

(१) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम--प्रेम महाविद्यालय बहुधंधी संस्था, मथुरा में।

(२) डिजाइनिंग एवं ड्राफटिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम--इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद।

(३) तीन वर्ष का पाठ्यक्रम इलेक्ट्रानिक्स में-इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद।

(४) सैन्डविच पद्धति पर चार वर्षीय केमिकल आपरेटर्स पाठ्यक्रम-राजकीय बहुधन्धी संस्था, गोरखपुर।

(५) इस्ट्रमेन्ट टेक्नालोजी में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम-राजकीय बहुधन्धी संस्था, कानपुर।

नवीन पाठ्यक्रमों को चालू करने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण करने में लगभग ६ महीने लग जाते हैं जिसके कारण नये पाठ्यक्रमों को जिस वर्ष चालू करना प्रस्तावित होता है उसे चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नवीन पाठ्यक्रमों को वर्ष १९७०-७१ में चलाने हेतु औपचारिकतायें इसी वर्ष पूर्ण कर ली जायें ताकि अगले वर्ष जुलाई १९७१ से चलाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। नवीन पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु शासन को प्रथम अनुपूरक द्वारा स्वीकृत हेतु दिये गये हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है।

संस्थाओं में छात्रों के खेलकूद के लिये कोई नियमित प्रबन्ध नहीं है। छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक संस्था में एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पद तथा कुछ आकस्मिक व्यय हेतु प्राविधान कर दिया जाये।

वर्ष १९७०-७१ में डिप्लोमा स्तर पर ५५३० छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य था जिसके विपरीत ४५१७ छात्रों ने प्रवश पाया है। प्रवेश में कमी, कम छात्रों के भर्ती लेने के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष में आयोजनागत योजनाओं के लिये १७०.०० लाख रु० का प्राविधान है तथा यह आशा की जाती है कि १३६.९७२ लाख रु० की धनराशि उपयोग में लाई जा सकेगी। छात्रावासों के निर्माण हेतु उन योजनाओं पर जो कि केन्द्रीय सरकार से पहले ही अनुमोदित थी, केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में मिल रही है। अतः इन योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है।

वर्ष १९७१–७२ के कार्यक्रम

डिग्री स्तर

डिग्री स्तर पर अगले वर्ष विशेष विकास प्रस्तावित नहीं है। बजट में प्राविधान उन स्कीमों को पूरा करने के लिय किया गया है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त फैकल्टी विकास के लिये भी प्राविधान है।

डिप्लोमा स्तर

डिप्लोमा स्तर पर निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रमों को चलाने का प्रस्ताव है:—

(१) ३ वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम–राजकीय बहुधन्धी संस्था, कानपुर, के० एल० बहुधन्धी संस्था, रुड़की तथा लखनऊ बहुधन्धी संस्था, लखनऊ।

(२) २ वर्षीय आटोमोबाइल पाठ्यक्रम––राजकीय बहुधन्धी संस्था, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली तथा झांसी।

(३) २ वर्षीय स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पाठ्यक्रम––राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली।

(४) एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम एयर कंडीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशन–– इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद, राजकीय बहुधन्धी संस्था, बरेली तथा डी० एन० बहुधन्धी संस्था, मेरठ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर निर्वाचित विषयों के लिये बहुधन्धी संस्थाओं में अतिरिक्त साज-सज्जा उपलब्ध करने हेतु प्राविधान प्रस्तावित है।

अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रोग्राम की योजना के अन्तर्गत पोषित करने हेतु प्राविधान किया गया है।

केन्द्रीय सरकार की संस्तुति के आधार पर छात्रों के औद्योगिक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की योजना को कार्यान्वित करने तथा उसकी देखभाल करने हेतु इंडस्ट्री लाइजा बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह बोर्ड अध्यापकों के औद्योगिक प्रशिक्षण की भी देखभाल करेगा।

बहुधन्धी संस्थाओं में कर्मचारियों के आवासगृहों की अत्यन्त कमी है। अतः उनके लिये भी अगले वर्ष प्रर्याप्त प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त छात्रों को सुविधायें प्रदान करने हेतु साइकिल स्टैन्ड, कैन्टीन, एन० सी० सी० ब्लाक, डिस्पेन्सरी इत्यादि का निर्णय भी अनुदानित तथा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में प्रस्तावित है।

वर्ष १९७०–७१ में पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं पर १७५.०० लाख रु० का व्यय प्रस्तावित है। पहाड़ी क्षेत्रों की योजना पर ७.३५० लाख रु० व्यय होगा।

वर्ष १९७१–७२ में डिग्री स्तर पर ९८० तथा डिप्लोमा स्तर पर ५९९० छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती करने का लक्ष्य है।

१९७०–७१ वर्ष में प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर टिप्पणी

(१) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत हुई है। राज्य सरकार को प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास (को-आर्डिनेट्स डेवलपमेंट आफ टेकनिकल एजूकेशन) के बारे में परामर्श देना तथा परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों को तैयार करना तथा परीक्षाएं लेना परिषद् के मुख्य कार्य हैं।

(२) परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं की संख्या ४९ है। संस्थावार डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम ३६ संस्थाओं में तथा सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम १३ संस्थाओं में चल रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार इन संस्थाओं में ५ पोस्ट डिप्लोमा कोर्स, १८ डिप्लोमा कोर्स और २ सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं। इस वर्ष परिषद् के अधीन (१) ड्राफ्टिंग तथा डिजाइनिंग और (२) इन्स्ट्रूमेन्ट टेक्नोलोजी में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स तथा चार वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, ये तीन नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(३) इसके अतिरिक्त इस परिषद् ने शासन के आदेशों के अनुसार १९७० में (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभागों के अधिदर्शकों की प्रोन्नति परीक्षा भी ली।

(४) पिछले तीन वर्षों में परिषद् की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या--१९६८ में १३८१२, १९६९ में ११८३२ और १९७० में ११४७१ थी।

(५) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अन्तिम परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है:--

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष (सप्लीमेन्ट्री सहित)		
		१९६८	१९६९	१९७०
१	२	३	४	५
(१)	सिविल इंजीनियरिंग	७३०	५८९	४३०
(२)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ..	८४०	१०५१	१२७५
(३)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग ..	१०९७	१२२५	१२८१
(४)	सिविल इंजीनियरिंग (सिविल कान्स्ट्रक्शन टेक्नोलोजी)	४५	१३	५
(५)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मशीन टूल टेक्नोलाजी)	१२६	८९	२०
(६)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	९३	८१	३०
(७)	टेक्सटाइल टेक्नोलोजी	१०	१७	१५
(८)	टेक्सटाइल केमिस्ट्री	६	४	४
(९)	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी (लेटर प्रेस प्रिंटिंग) ..	२३	२१	२३
(१०)	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी (लिथोग्राफी) ..	२३	१८	२०
(११)	लेदर टक्नोलोजी (टेनिंग) ..	११	१५	१०
(१२)	आर्टिटेक्चुरल असिस्टेन्टशिप ..	१६	१३	२५
(१३)	इलक्ट्रोनिक्स	७	११	१०
(१४)	स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ..	१८	१७	१२
(१५)	आटोमोबाइल पोस्ट डिप्लोमा कोर्स ..	२५	२१	२३
(१६)	सेकेण्ड्री टेक्निकल सर्टिफिकट पाठ्यक्रम ..	२०३	२०७	२४६

१	२	३	४	५
(१७)	पल्प तथा पेपर टेक्नोलोजी में दो वर्ष का कोर्स	२१	२६	२६
(१८)	फुट वियर टेक्नोलोजी तथा लेदर गुड्स मैन्यु-फैक्चर	१२	१८	३२
(१९)	सिविल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय कोर्स (पार्ट टाइम)	१४	१३	१२
(२०)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चार वर्षीय कोर्स	१९	२०	२१
(२१)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग चार वर्षीय कोर्स ..	२६	५२	३२
(२२)	सर्टिफिकेट कोर्स इन पल्प एण्ड पेपर टेक्नोलोजी	—	२५	३६
(२३)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग (तीन वर्षीय कोर्स)	—	२४	२५
(२४)	एयर कन्डीशनिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स	—	—	४
(२५)	इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स	—	—	६

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ४१ डी० ई०--१९७१--१,५०० (मैग०)।